न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, (म.प्र.)
–: पीठासीन अधिकारी –फिरोज अख्तरः–

Registration No.	RCT-279/2024
Filing No.	RCT-890/2024
CNR No.	MP0501-001172-2024
Date of Filing	23-03-2024
Date of Registration	23-03-2024

टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र. के वन अपराध कमांक 14198/03 दिनांक 13.07.2015 अंतर्गत धारा 2(16), 9, 39, 44, 49(B), 50(C), 51 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) से उद्भूत आपराधिक प्रकरण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 09/05/2025 को घोषित)

RCT Case No.-279/2024

अभियोजन	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम (भोपाल) म.प्र.
अभियोजन द्वारा	श्री अरूण पठारिया ए.डी.पी.ओ
अभियुक्त	ताशी शेरपा आत्मज मुनिकु शेरपा आयु लगभग 46 वर्ष निवासी न्यू अरूणा नगर मजनू का टीला दिल्ली
अभियुक्त द्वारा	श्री मनीष तिवारी अधिवक्ता उपस्थित

Continued Page No (2)

अपराध की तारीख	13.07.2015
पी.ओ.आर की तारीख	13.07.2015
आरोपों के विरचना की तारीख	25.10.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख (आरोप पूर्व साक्ष्य)	06.04.2024
निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाने की तारीख	08.05.2025
निर्णय की तारीख	09.05.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	09.05.2025, कंडिका कमांक 91 के अनुसार

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोष मुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	द.प्र.स की धारा 428 प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	ताशी शेरपा	29.01. 2024	निरंतर	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा	दोष सिद्धि	कंडिका कमांक 91 के अनुसार	दिनांक 29.01. 2024 से

Continued Page No (3)

				संशोधित, 2006) की धारा 44, 49 / 51			निरंतर (दिनांक 29.01.2024 से आज दिनांक 09.05.2025 तक 1 वर्ष 3 माह 11 दिवस

अभियोजन के साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	चन्द्रकिशोर प्रजापति	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.2	जितेंद्र बंसल	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.3	प्रदीप यादव	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.4	विनोद सिंह	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.5	चन्द्रशेखर शर्मा	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.6	राजू सिंह राजपूत	वन विभाग के साक्षी / विवेचक साक्षी
अ.सा.7	अंजन पटेल	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.8	हेमा आचार्य	फॉरेंसिक विभाग के साक्षी

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

Continued Page No (4)

अभियोजन प्रदर्शों की सूची–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.–1 / अ.सा.1 / 02.05.2024	पी.ओ.आर
2	प्रदर्श पी.–2 / अ.सा.2 / 28.05.2024	आरोपी को गिरफ्तार / विधिअनुसार कार्यवाही करने हेतु प्राप्त आदेश
3	प्रदर्श पी.–3 / अ.सा.2 / 28.05.2024	जामा तलाशी पंचनामा
4	प्रदर्श पी.–4 / अ.सा.2 / 28.05.2024	जप्ती सूची
5	प्रदर्श पी.–5 / अ.सा.2 / 28.05.2024	आरोपी की गिरफ्तारी का पंचनामा
6	प्रदर्श पी.–6 / अ.सा.2 / 28.05.2024	जप्तीनामा
7	प्रदर्श पी.–7 / अ.सा.2 / 28.05.2024	पंचनामा
8	प्रदर्श पी.–8 / अ.सा.2 / 28.05.2024	नजरी नक्शा
9	प्रदर्श पी.–9 / अ.सा.2 / 28.05.2024	प्रश्नोत्तर पूछताछ
10	प्रदर्श पी.–10 / अ.सा.2 / 28.05.2024	आरोपी के कबूलियत बयान
11	प्रदर्श पी.–11 / अ.सा.4 / 14.08.2024	पंचनामा
12	प्रदर्श पी.–12 / अ.सा.5 / 20.09.2024	प्रभारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. भोपाल का आदेश
13	प्रदर्श पी.–13 / अ.सा.5 / 20.09.2024	सामान्य केस डायरी की आमद रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी.–14 / अ.सा.5 / 20.09.2024	मौका पंचनामा
15	प्रदर्श पी.–15 / अ.सा.5 / 20.09.2024	सामान्य केस डायरी की आमद रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी.–16 / अ.सा.5 / 20.09.2024	आरोपी के पते के सत्यापन बाबत् लिखा गया पत्र
17	प्रदर्श पी.–17 / अ.सा.6 / 20.09.2024	धीरज सिंह चौहान व राजू सिंह राजपूत को राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल, असम के संबंधित

Continued Page No (5)

		जिला / स्थलों में वायुयान से आने–जाने के संबंध में आदेश
18	प्रदर्श पी.–18 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आमद के संबंध में पत्र
19	प्रदर्श पी.–19 / अ.सा.6 / 20.09.2024	गिरफ्तारी सूचना पत्र
20	प्रदर्श पी.–20 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी को स्वेच्छित पुलिस कस्टडी में रखने के संबंध में पत्र
21	प्रदर्श पी.–21 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी की ट्रांजिड रिमांड के संबंध में लिखा गया पत्र
22	प्रदर्श पी.–22 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी की ट्रांजिड रिमांड के संबंध में आदेश
23	प्रदर्श पी.–23 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी की ट्रांजिड रिमांड के संबंध में आदेश की आदेश पत्रिका
24	प्रदर्श पी.–24 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी के बैंक स्टेटमेंट हेतु लिखा गया पत्र
25	प्रदर्श पी.–25 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी के बैंक ट्रांजिक्शन की प्रति
26	प्रदर्श पी.–26 / अ.सा.6 / 20.09.2024	प्रकरण में जप्त मोबाईल की फॉरेंसिक जांच बाबत् लिखा गया पत्र
27	प्रदर्श पी.–27 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी के मोबाईल फॉरेंसिक लेब भेजे जाने की पावती
28	प्रदर्श पी.–28 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट न्यायालय में जमा करने बाबत् लिखा गया पत्र
29	प्रदर्श पी.–29 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी की ब्रेन मेपिंग रिपोर्ट
30	प्रदर्श पी.–30 / अ.सा.6 / 20.09.2024	पॉलीग्राफी रिपोर्ट
31	प्रदर्श पी.–31 / अ.सा.6 / 20.09.2024	आरोपी के मोबाईल नंबर के सी.डी. आर व सी.ए.एफ की जानकारी प्रदाय करने बाबत् लिखा गया पत्र

Continued Page No (6)

32	प्रदर्श पी.—32 / अ.सा.6 / 20.09.2024	सीडीआर रिपोर्ट
33	प्रदर्श पी.—33 / अ.सा.6 / 20.09.2024	कैफ रिपोर्ट
34	प्रदर्श पी.—34 / अ.सा.6 / 20.09.2024	कैफ रिपोर्ट
35	प्रदर्श पी.—35 / अ.सा.6 / 20.09.2024	वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन की अनुसूची की हिंदी में सत्यापित प्रति
36	प्रदर्श पी.—36 / अ.सा.6 / 20.09.2024	वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन की अनुसूची की अंग्रेजी में सत्यापित प्रति
37	प्रदर्श पी.—37 / अ.सा.6 / 20.09.2024	चंद्रशेखर शर्मा के कथन
38	प्रदर्श पी.—38 / अ.सा.6 / 20.09.2024	प्रदीप यादव के कथन
39	प्रदर्श पी.—39 / अ.सा.6 / 20.09.2024	जितेन्द्र बंसल के कथन
40	प्रदर्श पी.—40 / अ.सा.6 / 20.09.2024	परिवाद में प्रकरण क्रमांक 14198 / 03 की सत्यापित प्रति
41	प्रदर्श पी.—41 / अ.सा.6 / 10.03.2025	मोबाईल फोन की फोरेंसिक जांच जमा करने बाबत् विवेचना अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फार्स द्वारा लिखा गया पत्र
42	प्रदर्श पी.—42 / अ.सा.6 / 10.03.2025	रिपोर्ट
43	प्रदर्श पी.—43 / अ.सा.6 / 10.03.2025	डी.व्ही.डी
44	प्रदर्श पी.—44 / अ.सा.6 / 10.03.2025	पेनड्राईव

बचाव पक्ष के प्रदर्श

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

अन्य जप्तशुदा वस्तुएं / आर्टिकल

स.क्र.	आर्टिकल संख्या / वस्तुएं	विवरण
1	आर्टिकल ए—1	एक छोटा काले कलर का बैग

Continued Page No (7)

2	आर्टिकल ए–2	एक नीले रंग का लिफाफा जिसके अंदर नेपाली, भूटानी व भारतीय मुद्रा है जिसमें 6 नोट 500 के भूटानी मुद्रा, भूटानी मुद्रा के 50 के 3 नोट, 20 के 3 नोट व 10 का 1 भूटानी नोट एवं नेपाली मुद्रा 10 का 1 व 20 का 1 नोट तथा भारतीय मुद्रा में 200 रूपये का 1 नोट, 20 रूपये का एक नोट
3	आर्टिकल ए–3 एवं 4	दो चैक बुक आईसीआईसीआई बैंक जयगांव पश्चिम बंगाल की जिसके उपर काले रंग का कवर लगा है
4	आर्टिकल ए–5 एवं 6	आईसीआईसीआई बैंक के दो एटीएम कार्ड
5	आर्टिकल ए–7	सोसायटिक जनरल बैंक का एटीएम कार्ड
6	आर्टिकल ए–8	ताशी शेरपा का वोटर कार्ड
7	आर्टिकल ए–9	ताशी शेरपा का पेन कार्ड
8	आर्टिकल ए–10	तीन सिम जिसमें दो भूटानी व एक नेपाली जो एक पन्नी में बंद है
9	आर्टिकल ए–11	आरोपी ताशी शेरपा का आधार कार्ड
10	आर्टिकल ए–12	आरोपी ताशी शेरपा का ड्रायविंग लायसेंस

01. अभियुक्त के विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त ने वन्यप्राणी बाघ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

Continued Page No (8)

02. अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र कामती, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम की लगदा बीट कारीमाटी क्षेत्र में दिनांक 13.07.2015 को हाथी से गश्ती कर रहे मनीराम एवं गन्नू महावत ने 10 व्यक्तियों को देखा। महावतों ने हाथी से उनका पीछा किया लेकिन वे व्यक्ति चुटकीदेव बाबा की ओर पहाड़ी क्षेत्र में भाग गए। दोनों महावतों ने इस बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही तत्काल चन्द्रकिशोर प्रजापति बीट गार्ड मढ़ई, कैलाशचन्द्र श्रीवास्तव वनपाल एवं अन्य सुरक्षा श्रमिक चुटकीदेव क्षेत्र में गए। समस्त स्टॉफ व्यक्तियों के पैरों के निशानों को देखते हुये मूसरखोह क्षेत्र में पहुँचे। जहां 10 व्यक्ति जो मूसरखोह क्षेत्र में रुके हुए थे, गश्ती दल को देखते ही मूसरखोह (देवगढ़) पहाड़ी में चढ़कर भागने लगे। स्टॉफ ने उनका पीछा किया लेकिन वे भागने में सफल रहे। कक्ष क्र. 251 के मूसरखोह क्षेत्र की सघन तलाशी लेने पर वहाँ कपड़े, बैग, रूकने एवं खाने की सामग्री मिली, जिसमें 01 बैग में रखी पैंगोलिन की 03 नग खोपड़ी भी मिली, जिसकी जप्ती बनाई गई। जिसका जप्तीनामा, पंचनामा बनाया गया एवं पी.ओ.आर. क्र. 14198/03 दिनांक 13.07.2015 अज्ञात व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया।

03. परिवाद में आगे लेख है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान 10 व्यक्तियों 1. श्रीवास वल्द दसन 2) सखाराम वल्द फगनू 3) परेश वल्द लालसिंह 4) रावत वल्द झामसिंह 5) श्यामजी वल्द नजरसिंह 6) सुम्मी वल्द झामसिंह 7) सुरेश वल्द दुरक 8) उमत वल्द झामसिंह 9) रामचरण वल्द दुरक 10) चन्दु वल्द फग्नू समस्त निवासी सांकई, को दिनांक 21.08.2015 को गिरफ्तार किया गया। समस्त 10 आरोपियों ने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष क्र. 251 के मूसरखोह क्षेत्र में अवैध प्रवेश करना स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान अपने बयान में श्रीवास एवं सखाराम ने चूरना परिक्षेत्र के वनग्राम सांकई के पास गेंडी नाले में माह फरवरी 2015 में एक बाघ जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 वर्ष होगी का शिकार करना स्वीकार किया एवं उन्होंने बयान में बताया कि उन दोनों ने एक गाय के गारे पर कीटनाशक डालकर बाघ का शिकार किया था। उसकी खाल एवं हड्डियों को उन्होंने शाहपुर वाले फारूख मियां जो बकरा–बकरी, मुर्गा–मुर्गी बेचने खरीदने का काम करते हैं को बेच दी थी।

Continued Page No (9)

श्रीवास एवं सखाराम ने पैंगोलिन स्केल्स भी फारूख मियां को बेचना बताया है। श्रीवास की निशानदेही पर मूसर खोह क्षेत्र में ले जाने पर उसने चट्टान के पीछे छुपाकर रखी गई पैंगोलिन स्केल्स लगभग 1.5 किलो भी जप्त की गई। उम्मत एवं सुम्मी ने अपने बयान में लेख कराया, कि रामपाल एवं छोटेवीर साकिन सांकई ने एक टाईगर का शिकार किया था।

04. परिवाद में आगे लेख है कि श्याम जी ने अपने बयान में बताया कि पैंगोलिन के तीन स्केल्स जो मूसर खोह में जप्त हुए थे, वो उसके द्वारा इकट्ठा किये हुए थे एवं अपने बैग में रखे हुऐ थे। प्रकरण के अन्य 02 आरोपियों रामपाल एवं छोटेवीर ने पूछताछ में यह कबूल किया कि माह फरवरी 2015 के आसपास चूरना परिक्षेत्र अन्तर्गत धावड़ा नाले के पास एक अन्य बाघ का शिकार गाय के गारे पर कीटनाशक डालकर किया था। छोटेवीर एवं रामपाल ने इस मृत बाघ की हड्डियों को वर्ष 2015 में होली के बाद केवलारी के झूलन सरपंच व धरमसिंह को 12000/– रूपये में बेच दिया था। रामपाल ने अपने बयान में बताया कि बाघ की खाल जंगल में सुखाने के दौरान चोरी हो गई थी। जिसे रमेश मुकद्दम ने चुरा लिया था, की जानकारी संतोष की पत्नी सम्मोबाई ने रमेश मुकद्दम को दे दी थी। रमेश मुकद्दम ने हरिदास जो रमेश मुकद्दम का चचेरा भाई है, के साथ मिलकर इसे भातना वाले इश्नोर पिता शिवराज को दे दिया था। इस बाघ की खाल को 13.10.2015 को जप्त किया। छोटवीर एवं रामपाल के बयान के आधार पर किवलारी वाले झूलन वल्द धरमसिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। झूलन ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि उसने होली के बाद लगभग 6.00 किलो बाघ की हड्डी छोटेवीर से 12000/– रूपये देकर खरीदी थी। यह हड्डी उसने 15000/– रूपये में इटारसी वाले शेख युनूस को बेच दी थी। झूलन ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि वह पैंगोलिन के स्केल्स का व्यापार करता था, एवं स्केल्स इकट्ठा कर शाहपुर वाले फारूख मिया को देता था।

05. परिवाद में आगे लेख है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय नर्मदापुरम से प्राप्त सी.डी.आर. की विस्तृत विवेचना की गई, जिसके आधार पर आरोपी झूलन मरकाम की इटारसी निवासी युनूस से लगातार बात होने के प्रमाण मिले।

Continued Page No (10)

दिनांक 17.09.2015 को युनूस, यूसूफ एवं उसके पुत्रशेख चाउस उर्फ अब्दुल को इटारसी से पूछताछ हेतु सोहागपुर लाया गया। मढ़ई में दिनांक 18.09.2015 को सहायक संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व सोहागपुर के समक्ष दिये बयान में युनूस वल्द यूसूफ ने स्वीकार किया कि उसके पास 02 मोबाइल नम्बर 9406562802 एवं 7693869855 है। जिसका वह उपयोग झूलन एवं अन्य व्यक्तियों से वन्यप्राणियों के अवयवों के अवैध व्यापार एवं लेन देन में बात करने के लिये करता था। पूछताछ के दौरान उसने अपने बयानों में झूलन से शेर की हड्डी एवं पैंगोलिन की खपड़ी खरीदना एवं मोबाईल से बात करना स्वीकार किया। युनूस ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया था कि झूलन से क्रय की गई बाघ की हड्डियों का सौदा इटारसी रेल्वे स्टेशन पर ही बाहर के व्यक्ति से किया था। युनूस के उपरोक्त नम्बरों की सी.डी.आर. का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि उसकी बातचीत 9999931961, 9899460027 एवं 8303429462 पर लगातार होना पाई गई। इन नम्बरों की सी.डी.आर./एस.डी.आर. एवं विवरण प्राप्त करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोबाइल नम्बर तिब्बत मूल के नेपाली व्यक्तियों के है।

06. परिवाद में आगे लेख है कि अन्य सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मोबाइल नम्बर 9999931961 जै.ई.तमांग एवं मोबाइल नम्बर 9899460027 उसकी लिव इन पार्टनर लाचुंगपा यांगचैन के हैं जो वन्यप्राणी अवयवों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं एवं एक बड़े गिरोह के सरगना हैं। उनके बैंक खातों का विवरण भी प्राप्त किया गया, जिसमें कम समय अवधि (6–7 माह) में काफी ज्यादा लेन–देन (65 लाख से अधिक) पाया गया। इन्ही आधार पर जै.ई. तमांग को दिल्ली से दिनांक 29.10.2015 को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 02 मोबाईल जिसमें 03 सिम जिनके नम्बर 9999931961, 7042700876 एवं 9717302209 लगी हुई थी, भी जप्त की गई। जिसमें से 9999931961 से जै.ई. तमांग की युनूस के नम्बर 7693869855, 9406562802 एवं शमीम के नम्बर 8303429462 से लगातार बात होना पाया गया। चूंकि जै.ई.तमांग एवं यांगचैन तिब्बत मूल के बौद्ध व्यक्ति है। उनकी इटारसी मध्य प्रदेश निवासी युनूस एवं कुलीबाजार कानपुर उत्तर प्रदेश निवासी मो. शमीम जो मुसलिम धर्म के व्यक्ति

Continued Page No (11)

है, से कोई सामाजिक या रिश्तेदारी के संबंध होना संभव नहीं था। युनूस एवं शमीम का कोई बड़ा व्यापार नहीं था, मात्र बकरा, बकरी बेचने का व्यापार था। अतः यह संबंध मात्र वन्यप्राणियों के अवयवों के अवैध व्यापार से संबंधित ही हो सकता था।

07. परिवाद में आगे लेख है कि आरोपी जै.ई. तमांग के द्वारा दिनांक 03.11.2015 को सहायक संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम श्री विजय श्रीवास्तव के समक्ष अपने बयान में दर्ज कराया है कि "उसका व्यवसाय जड़ी–बूटी बेचने का है। इसके अलावा वह टाईगर की खाल एवं हड्डी, पैंगोलिन स्केल, रेड सेंडर (रक्त चंदन) का अवैध रूप से खरीदने और बेचने का काम भी करता है। सामान्य तौर पर वह इन 02 मोबाइल सिम नम्बर का उपयोग करता हैं, जिसमे पहला सिम मोबाईल नम्बर–9999931961, (मोबाइल लावा IMEI NO. 911369450752107) एवं दूसरा नम्बर 9899460027 है, यह दूसरा नम्बर उसकी लिव इन पार्टनर लाचुंगपा यानचेन का है। वह ताशी नाम के व्यक्ति को जानता है। उसने शेख युनूस व शेख यूसुफ जो कि इटारसी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, के बारे में बताया था तथा ताशी ने कहा कि शेख युनूस टाइगर की खाल एवं हड्डी, पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) बेचने का काम करता है एवं शेख युनूस का मोबाइल नम्बर–7693869855, एवं दूसरा मोबाइल नम्बर 9406562802 है। शेख युनूस से वह उसके मोबाइल फोन नम्बर–9999931961 से बाते किया करता था। उसे ताशी ने बताया कि इटारसी वाले शेख युनूस के पास टाइगर की हड्डियां एवं पैंगोलिन स्केल(छिल्पी) रखी हुई है। तब उसकी इटारसी मध्य प्रदेश के रहने वाले शेख यूनुस खान से उसके मोबाइल फोन 9999931961 पर बाते हुई, तो उसने उसे टाइगर की हड्डी और पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) बेचने के बारे में कहा, तब वह ट्रेन से इटारसी गया था और वहां शेख युनूस रेल्वे स्टेशन पर उसे लेने गया था और रेल्वे स्टेशन के सामने पेट्रोल पम्प के पीछे वाली लॉज में उसे रूकवाया था।

08. परिवाद में आगे लेख है कि दिनांक 01.11.2015 को वन विभाग के अधिकारियों को उसके द्वारा इटारसी में उस होटल को मौके पर ले जाकर

Continued Page No (12)

बताया गया जहाँ पर कि उसे शेख युनूस ने कुछ समय के लिए ठहराया था एवं उसके द्वारा शेख युनूस की उस मटन(मीट) की दुकान को भी बताया गया जहाँ पर कि उसे शेख युनूस द्वारा टाइगर की हड्डी दिखायी गयी थी। इसी स्थान पर युनूस ने कहा था कि यह टाइगर की हड्डियां ले जाओ। तब उसका सौदा शेख युनूस से तय हुआ तथा उसने राशि रू. 20000/-(बीस हजार रूपये) एडवांस दिया और शेख युनूस से कहा कि तुम खुद नई दिल्ली आकर माल देना। शेख युनूस करीब 10-15 दिन बाद नई दिल्ली पहुंचा और पहुंचकर उसने उसे फोन किया, और वह उसे स्वयं की कार से लेने गया और फिर वे दोनों मजनू का टीला नई दिल्ली गये।

09. परिवाद में आगे लेख है कि शेख युनूस के पास एक बड़ा बैग था, जिसमें बाघ की लगभग 12 किलोग्राम हड्डियां तथा लगभग 09 किलोग्राम पैंगोलिन स्केल थी। उसने शेख युनूस से टाइगर की हड्डियां 12,000/-रूपये प्रति किलोग्राम से और पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) 7,000/-रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उसी दिन वह हड्डियां और पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) मजनू का टीला में प्रति किलोग्राम 1,000/-रूपये के हिसाब से एवं पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) 500/-रूपये उसने प्रति किलोग्राम की बड़ी हुई कीमत पर ताशी तिब्बती को दे दी। फिर शेख युनूस दोबारा माह फरवरी 2015 में नई दिल्ली पहुंचा तब भी वह बड़ा सा बैग लेकर पहुंचा था। जिसमें शेख युनूस द्वारा टाइगर की लगभग 14 किलोग्राम हड्डियां एवं पैंगोलिन स्केल (छिल्पी/खपड़ी) लगभग 19 किलोग्राम रखी हुई थी। इस बार टाइगर की हड्डी 14,000/-रूपये एवं पैंगोलिन स्केल (छिल्पी), 8,000/-रूपये प्रति किलो ग्राम के हिसाब से उसे बेचा और उसने टाइगर की हड्डियों पर 1500/-रूपये और पैंगोलिन स्केल (छिल्पी) पर 500/-रूपये प्रति किलोग्राम के फायदे से ताशी तिब्बती को बेच दिया।

10. परिवाद में आगे लेख है कि उसने शेख युनूस के दोनो मोबाइल फोन नम्बर (1) 7693869855, को U Rani, U Raj Rani (2) 9406562802, UR & Rani, U Rani के नाम से उसके मोबाइल में सेव

Continued Page No (13)

किया है। फोन पर वे "राजा–रानी" कोड वर्ड में बातें करते थे। उसे यह मालूम है कि ताशी चीन में जाकर टाइगर की खाल, हड्डियां एवं पैंगोलिन स्केल(छिल्पी) ले जाकर बेचता है। ताशी का इंडियन मोबाइल नम्बर–9891764691 एवं नेपाल का मोबाइल फोन नम्बर 9779808421888 एवं उसकी We chat ID zaz_xix_980421888 हैं। उसके मोबाइल (लावा) में दर्ज नाम Sa ko मोबाइल नम्बर 8303429462 से भी पैंगोलिन स्केल (छिल्पी) एवं अन्य वन्यप्राणियों के अंगों के संबंध में चर्चा की जाती थी। उसके पास जप्त किये गये मोबाइल (लावा) फोन में नीचे दिये गये नम्बर क्रमशः 9779818008828, एवं 9779848774946 किसके है यह उसे याद नहीं आ रहा है किन्तु उसे यह याद है कि इन मोबाइल फोन नम्बरों पर टाइगर की हड्डी एवं पैंगोलिन स्केल(छिल्पी) के संबंध में बातचीत होती रहती थी। इसके अतिरिक्त उसके पास से जप्त मोबाइल फोन (लावा) में दर्ज नाम Atup Bongpa मोबाईल नम्बर 08615889077027 एवं नाम Aviran Panba Syti मोबाईल नम्बर 9971592213 से दुर्लभ वनोपज, रक्त चंदन एवं अन्य जड़ी–बूटी की अवैध खरीद एवं बिक्री के संबंध में बात–चीत की जाती थी।"

11. परिवाद में आगे लेख है कि प्रकरण में दिनांक 29.10.2015 को गिरफ्तार आरोपी जै.ई. तमांग उर्फ पसांग लिमि के द्वारा दिनांक 03.11.2015 को दिये अपने बयान में उल्लेखित कराया कि उसने ताशी शेरपा को बाघ की हड्डियां एवं पैंगोलिन स्कैल्स मजनू का टीला नई दिल्ली में बेचे थे। उसके भारतीय मोबाइल नम्बर 9999931961, 9899460027 से आरोपी ताशी उर्फ ताशी शेरपा (मोबाइल नम्बर +919891764691 भारत, +9779808421888 नेपाल) से टाइगर की खाल, हड्डियां एवं पैंगोलिन स्केल्स के संबंध में बातचीत होती थी। उपरोक्त नम्बरों के सी.डी.आर. विश्लेषण में भी आरोपियों की आपस में लगातार बातचीत होना पाया गया है। आरोपी जै.ई. तमांग माननीय न्यायालय सोहागपुर से जमानत स्वीकृत होने उपरांत लगातार फरार है जिसके विरूद्ध इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। साथ ही प्रकरण में दिनांक 15.09.2017 को गिरफ्तार अन्य आरोपी लाचुंगपा यानचेन के द्वारा दिनांक 15.09.2017 को दिये अपने बयान में उल्लेखित कराया है कि आरोपी जै.ई. तमांग

Continued Page No (14)

के द्वारा आरोपी ताशी उर्फ ताशी शेरपा से पैंगोलिन के स्केल्स एवं रक्त चंदन की खरीद–फरोख्त की जाती थी।

12. परिवाद में आगे लेख है कि आरोपी लाचुंगपा यानचेन भी माननीय न्यायालय गंगटोक (सिक्किम) के द्वारा अंतरिम जमानत का लाभ मिलने उपरांत लगातार फरार है। आरोपी ताशी उर्फ ताशी शेरपा के विरूद्ध माननीय न्यायालय सोहागपुर के द्वारा दिनांक 25.02.2020 को स्थायी गिरफ्तारी वांरट जारी किया गया था जिसके परिपालन में आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। फलस्वरूप दिनांक 24.01.2024 को आरोपी ताशी उर्फ ताशी शेरपा को नक्सलबाड़ी फ्लाई ऑवर के पास थाना खोरीबाड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ताशी शेरपा से 03 नग मोबाइल 1-(Samsung A770 IMEI 353482111035112, 353483111035110) 2-(Samsung A24F IMEI-350195380352520, 352274790352525) 3-(Samsung Guru DUOS IMEI-353415/46/410257/6355021/98/410257/1), 05 नग सिम (02 नेपाली, 02 भूटानी एवं 01 भारतीय), आधार कार्ड (3533 4907 2943), वोटर आई डी (XNV0568779) पेन कार्ड (FQAPS8702Q), ड्राइविंग लायसेंस (DL-0120140199544), 02 नग ए.टी.एम. कार्ड, चेक बुक एवं नेपाली, भूटानी, भारतीय मुद्रा की जप्ती की गई।

13. आरोपी ताशी शेरपा के द्वारा सहायक वन संरक्षक श्री विनोद सिंह, प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के समक्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 50 (8) के तहत दिनांक 12.02.2024 को अपने बयान में बताया कि “वह ताशी शेरपा वल्द मुनिकु शेरपा उम्र लगभग 46 वर्ष, स्थायी पता मकान नंबर एच–27, ब्लॉक–7 नया अरूणा नगर, मजनू का टीला, सिविल लाइंस उत्तरी दिल्ली 110054 है। जो उसके आधार कार्ड (3533–4907–2943) एवं ड्राइविंग लाइसेन्स (DL-0120140199544) व वोटर कार्ड (XNV0568779) में लिखा हैं। उसका नेपाल का ड्राइविंग लायसेंस (DLno-01-06-01293541) है। उसका नेपाल

Continued Page No (15)

का पता स्वयंभू 15 काठमांडू नेपाल व नेपाल का मोबाइल नम्बर (+9779808421888) है जो उसके ड्रायविंग लायसेंस पर भी लिखा है। उसका जन्म Gannan Prefecture, Gansu Province China में हुआ था। वह वर्तमान में भूटान एवं भारत की सीमा में स्थित त्रिवेणी टोल रोड नम्बर 3 जयगांव अलीपुरद्वार 736182 पश्चिम बंगाल में किराये के मकान में रह रहा है। उसका बैंक अकाउन्ट (217401502623) आईसीआईसीआई बैंक जयगांव जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा उसका अकाउंट चीन के कुछ बैंक में भी है।

14. परिवाद में आगे उसने बताया कि वह भारत से थोक में जड़ीबूटी (यारसागुम्बा) कीमती पत्थर (रत्न मुंगा इत्यादि), नेपाल, तिब्बत एवं चीन में बेचता है और नेपाल, तिब्बत एवं चीन से सोना(गोल्ड) ऊनी कपड़े इत्यादि भारत में विभिन्न स्थानों में ले जाकर बेचने का काम भी करता है। यह उसका कवर बिजनेस है। उसका मुख्य बिजनेस बाघ /सी–हॉर्स, कोरल तथा अन्य वन्यप्राणी के अवयवों तथा रक्त चंदन भारत से ले जाकर नेपाल–भूटान के रास्ते तिब्बत, चीन में बेचने का काम भी करता है। वह हिन्दी, नेपाली, तिब्बती, भूटानी एवं मंदारिन (चीनी भाषा) समझता है। उसके पास तीन मोबाइल है, जिनमें अलग–अलग देशों की 03 सिम है जिसमें 02 भारतीय (8167371666, 8167371777) एवं 01 नेपाल (+9779804995359) के नम्बर है। उसके मोबाइल नम्बर +9779808421888 उसके मोबाइल मॉडल सेमसंग SM-N770F/DSM Serial No. FR8N1197GZX (IMEI No. 353482111035112, 353482111035110) में ताशी शेरपे (Tashi Sherpe) के नाम से दर्ज है। जो उसके द्वारा मोबाइल खोलकर दिखाया गया। पूर्व में उसके पास 03–04 मोबाइल और भी थे। जिनमें वह अलग–अलग सिम कार्ड का उपयोग करता था। उसके पास लगभग 25–30 सिम कार्ड थे, जो उसने फर्जी आई डी द्वारा खरीदे थे। उसे सी.डी.आर/आईएमईआई जांच से निकाले गये उसके सभी नम्बर दिखाये गये जिसके संबंध में उसे अधिकांश नम्बर याद नहीं है, कुछ नम्बर याद है। उसके द्वारा वर्ष 2013–14 में भारतीय मोबाइल नम्बर

Continued Page No (16)

9891764691 एवं 9953877989 का उपयोग किया जाता था। इन नम्बर से वह अपने सांथी जै.ई.तमांग उर्फ पसांग लिमि के भारतीय मोबाइल नम्बर 9999931961 से वन्यप्राणी के अवयवों के खरीदने–बेचने की बातचीत किया करता था।

15. परिवाद में आगे लेख है कि इसके अतिरिक्त उसके पास मोबाइल नम्बर 6009532276, 8294007408 नम्बर भी थे, जो उसे याद है। वह मोबाइल नम्बरों का उपयोग बदल–बदल कर करता रहता था जिससे उसे कोई पकड़ नहीं सके। इसके अलावा वह वी चेट (We Chat) सोशल मीडिया एप के द्वारा भी वन्यप्राणी अवयवों के खरीदने–बेचने के संबध में अपने साथियों के साथ बातचीत करता था। उसके वी चैट आई डी (zaz_xix_980421888) है। जो उसके मोबाइल सेमसंग मॉडल नम्बर SM-N770F/DSM Serial No. FR8N1197GZX में भी दर्ज है एवं उसके दूसरे मोबाइल सेमसंग मॉडल SM-A245F/DS Serial No. RZ8W80D90XF में Stupa के नाम से दर्ज है। जिसे उसके द्वारा मोबाइल खोलकर दिखाया गया। वह भारत में विभिन्न राज्यों तमिलनाडू, महाराष्ट्र, असम, केरल, हिमाचल, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में आता–जाता रहता हैं। वह जब बाहर जाता था तब वह अपने मोबाइल में नया सिम डाल लेता था जो उसने फर्जी आई डी से खरीदी थी।

16. वह जैई तमांग उर्फ पसांग लिमी वल्द कोनचोक सोनम तमांग निवासी मकान नंबर एच–19, ब्लॉक–11 नया अरूणा नगर, मजनू का टीला, सिविल लाइंस उत्तरी दिल्ली 110054 को जानता है। परन्तु वर्तमान में जैई तमांग कहाँ है, वह नहीं जानता। जै ई तमांग मजनू का टीला नई दिल्ली में उसे मिलता रहता था। उसने जैई तमांग को वर्ष 2013 में शेख युनुस वल्द शेख युसुफ निवासी इटारसी मध्यप्रदेश का मोबाईल नम्बर (7693869855, 9406562802) दिया था। उसने जैई तमांग को शेख युनुस के बारे में बताया था कि शेख युनुस के पास बाघ की हड्डियों एवं पेंगोलिन स्कैल्स है इसके कुछ

Continued Page No (17)

दिन बाद जैई तमांग इटारसी आया था एवं शेख युनुस से मिला था। जैई तमांग ने शेख युनुस से बाघ की हड्डियों एवं पेगोंलिन स्कैल्स खरीदकर उसे 02–03 मजनू का टीला नई दिल्ली में दी थी। जो उसे याद है कि मध्य प्रदेश के जंगलों से लाई गई थी। जिसे उसके द्वारा अधिक राशि लेकर नेपाल में सितार तमांग तथा चीन निवासी बाइ युनीस उर्फ जिआओ बाइ उर्फ बाइ चेन्ग **(Bai Yinusi alias Xiao Bai alias Bai Cheng)** को अलग–अलग मात्रा में बेच दिया था। कितनी मात्रा बेची थी अब उसे याद नहीं है।

17. वह उपरोक्त बिजनेस के संबंध में मार्च–जुलाई वर्ष 2022 में भारत के तमिलनाडू एवं केरल तथा फरवरी 2023 में गढ़चिरौली महाराष्ट्र भी गया था। वह तथा उसके साथी सितार तमांग, लांचुगपा यांनचैन, जै ई तमांग तथा अन्य लोग भारत में विभिन्न स्थानों से लोकल शिकारियों के साथ सम्पर्क में रहकर बाघ तथा अन्य वन्यप्राणियों के अवयव तथा खाल का अवैध व्यापार करते हैं। इस व्यापार में काफी अधिक मुनाफा होने से अच्छी कमाई हो जाती है। इस कार्य को मिलजुल कर किया जाता है। जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत तथा चीन के लोग शामिल है।" आरोपी के द्वारा वन्यप्राणी बाघ व अन्य वन्यप्राणी शिकार एवं उसके अवयवों का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया गया।

18. आरोपी ताशी से जप्त मोबाइल की विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा खोलकर दिखाया गया जिसमें वी चैट आई डी zaz_xix_980421888 एवं मोबाइल नम्बर +9779808421888 सुरक्षित पाये गये। ये वही वी चैट आई डी एवं मोबाइल नम्बर हैं जो आरोपी जै ई तमांग ने वर्ष 2015 में गिरफ्तारी के बाद अपने कथन में बताये थे। आरोपी ताशी शेरपा से जप्त मोबाइल को सीलबंद कर कार्यालयीन पत्र कमांक 50 दिनांक 01.03.2024 से प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल को फॉरेंसिक लैब भेजने हेतु प्रेषित किया गया। सायबर फॉरेसिंक लैब मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल की पावती क्रमांक 234/24 दिनांक 18.03.2024 संलग्न की है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 17

Continued Page No (18)

दिनांक 30.01.2024, के द्वारा शाखा प्रबंधक ICICI शाखा भोपाल को लेख कर आरोपी ताशी के बैंक खाते की विस्तृत जानकारी चाही गई जो कि संलग्न है।

19. परिवाद में आगे लेख है कि आरोपी जैई तमांग के कथन अनुसार आरोपी ताशी शेरपा के द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाइल नम्बर की सी.डी. आर. एवं कैफ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन प्रेषित किया गया जो शासकीय ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त हुआ। जिसके विश्लेषण पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार बातचीत होना पाया गया–

A Party	B Party	समय अवधि	कितनी बार आपस में बात हुई
+919891764691 (ताशी शेरपा)	+919999931961 (जै ई तमांग)	01.11.2014 से 27.07.2015 तक	06
+919891764691 (ताशी शेरपा)	+9779849385065 (ढरके लामा)		02

20. आरोपी ताशी शेरपा के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने एवं प्रकरण से संबधित तथ्यों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिये जाने के कारण पॉलिग्रॉफ एवं ब्रेन मेपिंग (BEOS Test) परीक्षण हेतु डायरेक्ट्रेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस गांधी नगर गुजरात ले जाने की अनुमति कार्यालयीन पत्र क्रमांक 51 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा माननीय न्यायालय नर्मदापुरम से चाही गई। माननीय न्यायालय नर्मदापुरम के आदेश दिनांक 04.03.2024 से प्राप्त अनुमति उपरांत डायरेक्ट्रेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस गांधी नगर गुजरात के द्वारा आरोपी ताशी शेरपा का पॉलिग्रॉफ एवं ब्रेन मेपिंग परीक्षण दिनांक 11.03.2024 से 22.03. 2024 तक पूर्ण किया गया एवं आरोपी को सुरक्षित एवं स्वस्थ हालत में दिनांक 22.03.2024 को केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम में दाखिल किया गया।

Continued Page No (19)

21. प्रकरण में कुल 36 आरोपियों में से 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जा चुका है। उक्त आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष मूल परिवाद (23 आरोपियों के विरूद्ध) दिनांक 16.10.2015, प्रथम पूरक परिवाद (05 आरोपियों के विरूद्ध) दिनांक 18.11.2016 एवं द्वितीय पूरक परिवाद (01 आरोपी के विरूद्ध) दिनांक 14.10.2017 को प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ आरोपी शिकारी थे एवं कुछ वन्यप्राणी अवयवों को बेचकर मुनाफा कमाने वाले बिचौलिये थे। इस प्रकार यह प्रकरण संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें गिरफ्तार आरोपी ताशी शेरपा एवं अन्य फरार अन्तर्राष्ट्रीय आरोपी नियंत्रक (Controller) के रूप में कार्य करते हैं। जो इस संगठित वन्यप्राणी अपराध को नियंत्रित करते हैं।

22. प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों 1. जै.ई. तमांग उर्फ पंसांग लिमि वल्द कोनचोक सोनम निवासी एच. 19 ब्लाक 11 न्यू अरुणा नगर मजनू का टीला नई दिल्ली 2) लाचुंगपा यांन चेन वल्द शुवांग टोपगे निवासी लाचुंग उत्तर सिक्किम 3) ढरके लामा निवासी नेपाल 4) सितार तमांग निवासी नेपाल 5) एहोनोरबु निवासी नेपाल 6) अटुप बोंगपा निवासी ल्हासा तिब्बत, चीन 7) बाई यूनिस उर्फ जिआओ बाई उर्फ बाई चेंग निवासी चीन की गिरफ्तारी शेष है। आरोपी कमांक 01 से 04 तक का स्थायी गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय सोहागपुर के द्वारा जारी किया जा चुका है।

23. परिवादी श्री राजू सिंह राजपूत वनक्षेत्रपाल विवेचना अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक /एफ 15–24/06/10–2 दिनांक 03.08.2006 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के आदेश कमांक / 189 दिनांक 22.08.2006 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है।

24. परिवाद में आगे लेख है कि वन्यप्राणी बाघ (Panthera tigris) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं

Continued Page No (20)

वन्यप्राणी पैंगोलिन **(Manis crassicaudata)** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 अनुसूची 1 भाग 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज है। जिनका शिकार एवं उनके अवयवों का व्यापार प्रतिबंधित है। आरोपी द्वारा प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन के अवयवों का अवैध व्यापार करने का जघन्य अपराध किया है। प्रकरण में पी.ओ. आर की मूल पर्त मूल परिवाद के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है। विवेचना में यदि नवीन गंभीर तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसका पृथक से पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने के निवेदन सहित तृतीय पूरक परिवाद पत्र टाइगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

25. अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय के चरण–1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदनुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अधीन परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है व बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

26. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में चन्द्रकिशोर प्रजापति (अ.सा.1), जितेंद्र बंसल(अ.सा.2), प्रदीप यादव (अ.सा.3), विनोद सिंह (अ.सा.4), चन्द्रशेखर शर्मा (अ.सा.5), राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6), अंजन पटेल (अ.सा.7), हेमा आचार्य (अ.सा.8) को परीक्षित कराया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी. ओ. श्री अरूण पठारिया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की है।

27. **प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–**

क्या अभियुक्त ने वन्यप्राणी बाघ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया?

Continued Page No (21)

—ः विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार ः—

विचारणीय प्रश्नों के संबंध में

28. उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन मामला अनुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपी के विरूद्ध किसी विशिष्ट, दिनॉक एवं विशिष्ट स्थान पर हुए किसी एक घटना के संबंध में प्रस्तुत न किया जाकर आरोपी के द्वारा वन्यजीवों विशेषकर बाघ एवं पैंगोलिन के स्कल्स जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची—ए के भाग—1 में अनुक्रमांक 28 एवं 39 में आते है, के संबंध में एक लंबी कालावधि तक लगातार किए जाने वाले कथित अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को उक्त संदर्भ में किया जाना उचित होगा। उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन किया जावे, जो वर्तमान प्रकरण में सुसंगत है और उन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम के समर्थनकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया है। उल्लेखित किसी भी अपराध के न्यायपूर्ण विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारिता के द्वारा संपादित की जावे। परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित में से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा।

29. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा—55 यह प्रावधानित करती है कि — ''धारा 55 (ग) के अंतर्गत रेंज अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15—29—2001—X—2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है।

Continued Page No (22)

30. अतः इस परिप्रेक्ष्य में राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह वर्ष जून 2020 से टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद में प्रभारी अधिकारी के पद पर पदस्थ था। प्रकरण कमांक 14198/03 में फरार आरोपी ताशी शेरपा का गिरफ्तारी वारंट उसे प्रभार में प्राप्त हुआ था उसके पश्चात् उसने आरोपी की तलाश जारी रखी थी। दिनांक 23.01.2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक/18/23.01.2024 के माध्यम से उसे एक आदेश प्राप्त हुआ था। आदेश में प्रकरण कमांक 14198/03 में फरार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पश्चिम बंगाल, असम के संबंधित जिलों में जाकर किये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। उसके साथ धीरज सिंह चौहान प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर फोर्स भोपाल को भी नामित किया गया था। उक्त आदेश प्रदर्श पी-17 है जिसके ए से ए भाग पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी असीम श्रीवास्तव के हस्ताक्षर है।

31. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आदेश के पालन में उसने और धीरज चौहान दोनों ने पश्चिम बंगाल में पुलिस स्टेशन खोरीबारी में जाकर अपनी आमद दर्ज कराई थी एवं आरोपी को पकड़ने हेतु सहायता मांगी थी। आमद का पत्र प्रदर्श पी-18 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। उनका स्टॉफ पहले से वहां मौजूद था, जिनके द्वारा उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी को लोकेट कर लिया गया है जो नक्सलबाड़ी फ्लाईओवर के पास है। फिर वे लोग गये थे तो आरोपी उन्हें नक्सलबाड़ी फ्लाईओवर के पास मिला था जिसकी उनने जीपीएस रीडिंग भी ली थी फिर मौके पर उसके द्वारा जितेन्द्र बंसल व प्रदीप यादव के समक्ष आरोपी ताशी शेरपा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 में सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। मौके पर उसके समक्ष प्रदीप यादव ने आरोपी ताशी शेरपा की जामा तलाशी ली थी। तलाशी में उसके पास नेपाली मुद्रा, भूटानी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, उसका एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, चैक बुक, उसके पर्स में से दो नग भूटानी सिम, एक नेपाली सिम, एक छोटा काला बैग मिला था। जामा

Continued Page No (23)

तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–3 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

32. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि मौके पर प्रदीप यादव वनपाल के द्वारा आरोपी के पास मिले सामान व मुद्रा की सूची प्रदर्श पी 4 उसके समक्ष तैयार की गई थी। आरोपी के पास तीन नग मोबाईल भी मिले थे जो तीनों सैमसंग कंपनी के थे जिसे उसके समक्ष प्रदीप यादव ने जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 है। प्रदीप यादव ने मौके पर हुई कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी 7 व नजरी नक्शा प्रदर्श पी–8 तैयार किया था। प्रदर्श पी–4 एवं 6 लगायत 8 पर सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना प्रदीप यादव ने आरोपी के मित्र दावालांबा को दी थी और उसमें लिखे फोन नंबर पर उसे सूचित भी किया था, सूचना प्रदर्श पी–19 के ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी के पश्चात् शाम को लगभग साढे 7–8 बजे खोरीबारी पुलिस स्टेशन में आरोपी को लेकर आए थे। आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना दी गई और आरोपी को स्वेच्छित पुलिस कस्टडी में रखने का पत्र प्रदर्श पी–20 उसके द्वारा थाना इन्चार्ज को दिया गया था जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है, फिर दूसरे दिन 25 तारीख को एसीजेएम कोर्ट सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के समक्ष पेश किया था एवं पत्र के माध्यम से आरोपी के ट्रांजिड रिमांड 29 जनवरी 2024 तक का मांगा था जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी–21 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

33. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन कथन में आगे बताया कि एसीजेएम कोर्ट दार्जिलिंग से आरोपी का ट्रांजिड रिमांड का आदेश एवं वहां के आदेश पत्रिका की प्रति प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी–22 एवं 23 है। उसके पश्चात् 29.01.2024 को आरोपी को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष पेश किया गया था एवं उसका रिमांड लिया गया था। दिनांक 12.02.2024 को कार्यालय स्टेट टाईगर फोर्स भोपाल में आरोपी से जप्त मोबाईल को विवेचना हेतु आरोपी के समक्ष खोला गया था और विवेचना उपरान्त मोबाईल को पुनः सीलबंद किया था। आरोपी से जप्त मोबाईल में वही नंबर थे जो इस प्रकरण के

Continued Page No (24)

मुख्य फरार आरोपी जय तमांग ने भी बताए थे और वही वी–चैट आईडी भी पायी गई थी जो जय तमांग ने अपने बयानों में बताई थी, (जिसकी चैट आईडी का स्क्रीनशॉट पेज नंबर 37, 38, 39, 40, 41 है जो प्रकरण में संलग्न है।) मोबाईल खोलने व बंद करने का पंचनामा दिलीप पटेलिया वनपाल के द्वारा उसके समक्ष तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–11 है जिस पर बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

34. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा आरोपी ताशी शेरपा के बैंक से संबंधित जानकारी एवं दस्तावेज के लिए आईसीआईसीआई बैंक भोपाल को पत्र प्रदर्श पी–24 लिखा था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बैंक के द्वारा उसे दो पेज में उसके ट्रान्जेक्शन की प्रति प्रदर्श पी–25 दी थी जिसमें आरोपी के ट्रान्जेक्शन का उल्लेख है। आरोपी का खाता जयगांव पश्चिम बंगाल का था। आरोपी से जप्त तीन मोबाईल फॉरेंसिक जांच हेतु प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स को भेजे थे जिसका पत्र प्रदर्श पी–26 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आरोपी के मोबाईल सायबर फॉरेंसिक लैब मध्यप्रदेश भोपाल को भेजे गये थे जिसकी पावती प्रदर्श पी–27 है। विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर आरोपी ताशी शेरपा का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट डायरेक्टेट ऑफ फॉरेंसिक साईंस गांधी नगर गुजरात कराकर करवाया था जिसकी रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्राप्त हुई थी जो उसने पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। पत्र प्रदर्श पी–28 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

35. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 जो 22 पृष्ठों में है और आगे–पीछे शब्द अंकित है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट जो 4 प्रतियों में प्रदर्श पी–30 है। उनके कार्यालय के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर आरोपी ताशी शेरपा के मोबाईल नंबरों की सीडीआर मांगी थी जिसका पत्र प्रदर्श पी–31 है। सीडीआर प्रदर्श पी–32 उसे प्राप्त हुई थी जो 3 पेज में है जो प्रदर्श पी–32 है जिसके समस्त पृष्ठों पर ए से ए भाग पर में हस्ताक्षर है। कैफ रिपोर्ट प्रदर्श

Continued Page No (25)

पी–33 व 34 भी सीडीआर के साथ प्राप्त हुई थी। सीडीआर के मुताबिक जय तमांग व ताशी शेरपा के बीच 6 बार मोबाईल नंबरों पर बातचीत होना पाया था। उसके द्वारा प्रकरण में वन्य प्राणी बाघ एवं पैंगोलिन की अनुसूची की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–35 व 36 पेश की थी। विवेचना के दौरान उसने चन्द्रशेखर शर्मा, प्रदीप यादव, जितेन्द्र बंसल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे जो प्रदर्श पी–37, 38 व 39 है। प्रदर्श पी 31, 33, 34 व प्रदर्श पी 35 लगायत 39 के ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है। विवेचना उपरान्त परिवाद में प्रकरण क्रमांक 14198/03 की सत्यापित प्रति माननीय न्यायालय से प्राप्त कर पीओआर के साथ संलग्न की थी जो प्रदर्श पी–1 एवं प्रदर्श पी–40 है।

36. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में न्यायालय में जप्तशुदा मुद्देमाल खोलकर दिखाए जाने पर कथन किया कि यह वही सामग्री है जो आरोपी ताशी शेरपा से सूची प्रदर्श पी–4 के मुताबिक जप्त की थी। जप्तशुदा माल जिसमें एक पैकेट में एक छोटा काले कलर का बैग निकला जिस पर आर्टिकल ए–1 मार्क किया गया। एक नीले रंग का लिफाफा जिसके अंदर नेपाली, भूटानी व भारतीय मुद्रा रखी है, जिसमें 6 नोट 500 के भूटानी मुद्रा, भूटानी मुद्रा के 50 के 3 नोट, भूटानी 20 के 3 नोट व 10 का 1 भूटानी नोट है इसी प्रकार नेपाली मुद्रा, 10 का 1 व 20 का 1 नोट है, भारतीय मुद्रा में 200 रूपये का 1 नोट, 20 का एक नोट है, उक्त लिफाफे के उपर आर्टिकल ए–2 मार्क किया गया है और उसके अंदर समस्त नोटों को पुनः रखा गया। दो चैक बुक आईसीआईसीआई बैंक जयगांव पश्चिम बंगाल की जिसके उपर काले रंग का कवर लगे है, चैक बुक को आर्टिकल ए–3 एवं ए–4, तीन एटीएम कार्ड जिनमें 2 आईसीआईसीआई बैंक के है जिन पर आर्टिकल ए–5 व ए–6, एक अन्य एटीएम जो कि सोसायटिक जनरल बैंक का है जिसे आर्टिकल ए–7, एक वोटर कार्ड ताशी शेरपा का जिसे आर्टिकल ए–8, पेन कार्ड ताशी शेरपा का आर्टिकल ए–9, तीन सिम दो भूटानी व एक नेपाली जो एक पन्नी में बंद है जिसे आर्टिकल ए–10, आरोपी ताशी शेरपा का एक आधार कार्ड जो प्रकरण में संलग्न है जिसे आर्टिकल ए–11 व ड्रायविंग लायसेंस को आर्टिकल ए–12 से मार्क किया गया।

Continued Page No (26)

37. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि उसके द्वारा आरोपी ताशी से मिले 3 नग मोबाईल ड्राफ्ट तैयार कर सायबर फोरेंसिक लैब मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल को जांच हेतु भेजा था जिसकी रिपोर्ट 6 पृष्ठों में मय सीडी एवं पेन ड्राईव के प्राप्त हुई थी जो उसके द्वारा उसके कार्यालय के पत्र कमांक 40/13.02.2025 के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका पत्र प्रदर्श पी–41 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है, पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट जो फोरेंसिक से सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुई है, रिपोर्ट 6 पृष्ठों में है जो प्रदर्श पी–42 है, रिपोर्ट के साथ सीलबंद अवस्था में एक डीवीडी है जिसमें हेश वेल्यु है जो प्रदर्श पी–43 है एवं सीलबंद अवस्था में एक पेन ड्राईव है जिसमें मोबाईल से निकाला गया डाटा है जो प्रदर्श पी–44 है।

38. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने न्यायालयीन कथनों में प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ताशी शेरपा के भारत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए उसने पासपोर्ट विभाग या किसी भी थाने में कोई शिकायत नहीं की थी, स्वतः कहा कि नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट या अन्य किसी अभिलेख की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ताशी शेरपा से कोई भी वन्य प्राणी अवयव जप्त नहीं हुये थे। उसके द्वारा पालीग्राफ टेस्ट कराया गया था उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी से प्रदर्श पी 30 के प्रकरण कमांक 14198/03 दिनांक 13.07. 2015 में आरोपी सलिप्त था, ऐसा आया है या नहीं, इस संबंध में साक्षी के द्वारा बताया गया कि पॉलीग्राफ रिपोर्ट के कन्क्लूजन के पैराग्राफ 3 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ताशी शेरपा वन्य प्राणी के अवयवों के व्यापार में जय तमांग के साथ व्यापार करता था और ताशी शेरपा ने ही जय तमांग को इटारसी निवासी युनुस खान के बारे में बताया था, वन्य प्राणी के अवयवों के व्यापार के संबंध में और ताशी शेरपा ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह सोशल मीड़िया एप व्ही–चैट एप में राजा रानी कोड वर्ड का उपयोग करते हुये वन्य प्राणी अवयवों का व्यापार करते थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वन्य प्राणी का अवैध व्यापार भारत में इटारसी मध्यप्रदेश में हुआ है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श

Continued Page No (27)

पी–30 में युनुस खान इटारसी मध्यप्रदेश से मिलवाया लेख है एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 में दिनांक 13.07.2015 को कोई अपराध घटित हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है।

39. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) से प्रतिपरीक्षण में जब पूछा गया कि बीईओएस टेस्ट प्रदर्श पी–29 में प्रकरण कमांक 14198/03 दिनांक 13.07.2015 में आरोपी सलिप्त था, ऐसा आया है या नहीं तो इस साक्षी ने उत्तर में बताया कि बीईओएस रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 में कन्क्लूजन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ताशी शेरपा टाईगर की हड्डिया, पैगोंलिन के शल्क का व्यापार शेख युनुस निवासी इटारसी मध्यप्रदेश से किया करता था और उसने इस संबंध में जय तमांग को इटारसी निवासी शेख युनुस से मिलवाया था। ताशी शेरपा वन्य प्राणी अवयवों की खरीद खरोख्त के लिए नेपाल–भूटान के मार्ग का उपयोग करता था और ताशी ने बाघ की हड्डियां 8 हजार रूपये प्रति किलो की दर से और पैगोंलिन के शल्क 12500/–रूपये प्रति किलो की दर से जय तमांग से खरीदे हुये थे और इसी प्रकार के व्यापार करने का उल्लेख जय तमांग के द्वारा दिये गये कथन में भी उल्लेखित है।

40. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन कर बताया कि बीईओएस रिपोर्ट, फांरेसिंक एक्सपर्ट डॉक्टर एच.बी. आचार्य असिस्टेंट डायरेक्टर फांरेसिंक सायकोलॉजी डिवीजन गांधी नगर गुजरात के द्वारा बनाई गई है, ताशी से पूछे गये प्रश्नों के आधार पर ही यह रिपोर्ट तैयार की गई है, इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है कि प्रकरण कमांक के बारे में उससे पूछा गया या नहीं। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और बीईओएस टेस्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ताशी शेरपा ने पैगोंलिन के स्केल्स और बाघ की हड्डिया किस तारीख को कय–विकय की।

41. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कामती वन्य प्राणी क्षेत्र नर्मदापुरम में जो बाघ का शिकार हुआ और उसकी हड्डिया ताशी शेरपा के द्वारा कय की गई थी वह हड्डिया प्रकरण में ताशी शेरपा से जप्त नहीं हुई थी, फिर स्वतः कथन कर बताया कि यह प्रकरण वर्ष 2015 का है जिससे बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है

Continued Page No (28)

और ताशी के द्वारा दिये गये अपने कथन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसने जिन हड्डियों का व्यापार जय तमांग के साथ किया गया था वह उसने चीन निवासी जियाओ बाई को बेंच दी थी।

42. चंद्रकिशोर प्रजापति (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 13.07.2015 को मढ़ई बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् था। उक्त दिनांक को वह चौकीदार गन्नू और मीनाराम के साथ गस्त के लिये गये थे। हाथी महावत ने उन लोगों को सूचना दी थी। वे लोग गस्त कर रहे थे तो हाथी महावत को काली माटी क्षेत्र की तरफ 10 लोग दिखाई दिये थे फिर उन्होंने उन्हें सूचना दी थी फिर वे लोग पहुंचे थे फिर जिस तरफ वे लोग गये थे उस तरफ वे लोग गये थे उन्हें कोई लोग नहीं मिले थे, वे लोग सामान छोड़कर भाग गये थे उन लोगों को सामान में कपड़े व खाने पीने के सामान मिला था जो सामान मिला था उसे उसने जप्त कर लिया था उसके बाद उसने पीओआर प्रदर्श पी–1 काटा था।

43. चंद्रकिशोर प्रजापति (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी गस्ती का ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है एवं प्रकरण में सूचना पंचनामा भी संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि ऐसा नहीं हुआ कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिली हो उसके बाद अधिकारियों ने सूचना उसे दी हो। इस साक्षी को बात की जानकारी नहीं है कि परिवाद में ऐसा लिखा हो कि महावत ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी हो। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीओआर प्रदर्श पी–1 में यह दर्ज नहीं है कि उसे जंगल में 10 लोगों के दिखाई देने की सूचना मिली थी और मौके पर उसने चैक किया था और उसे मौके पर खाने पीने का सामान मिला था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में जप्ती से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन के दौरान बताया है कि मौके पर उसे दो कुल्हाड़ी, बल्लम व एक चाकू मिला था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीओआर प्रदर्श पी–1 में हथियारों का उल्लेख नहीं है और उसके साथ वह लिस्ट भी संलग्न नहीं है।

Continued Page No (29)

44. जितेंद्र बंसल (अ.सा.2) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि वह वर्ष 2021 से स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् था। प्रदीप यादव (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वर्ष 2016 से जुलाई 2023 तक वनरक्षक एवं वर्तमान में वनपाल के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् था। उक्त साक्षीगण जितेंद्र बंसल व प्रदीप यादव ने आगे कथन कर बताया कि वन अपराध कमांक 14198/03 में फरार आरोपी ताशी शेरपा का स्थाई वारंट था, जिसकी सूचना विवेचना अधिकारी को मिली थी। आरोपी ताशी को गिरफ्तार करने हेतु उनको धीरज सिंह चौहान प्रभारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स के द्वारा पश्चिम बंगाल, असम से संबंधित स्थानों पर जाने हेतु आदेश प्रदर्श पी–2 प्राप्त हुआ था। वे लोग 23.01.2024 को रवाना हुये थे और सीधे सिलीगुडी दार्जिलिंग पहुंचे थे। इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी धीरज सिंह चौहान भी वहां पहुंच गये थे। आरोपी ताशी शेरपा नक्शलबाड़ी फ्लाईओवर के पास खड़ा हुआ मिल गया था, जिसे विवेचना अधिकारी राजू सिंह राजपूत ने उनके सामने मौके पर पकड़ा और उसकी जामा तलाशी प्रदीप द्वारा ली थी उसके पास एक काला बैग था उसके अंदर उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, नेपाली–भूटानी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, चैक बुक, एटीएम, ड्रायविंग लायसेंस, तीन मोबाईल फोन मिले थे। जिसका जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–3 प्रदीप के द्वारा जितेंद्र बंसल के समक्ष बनाया था, जामा तलाशी में जो सामान मिला था उसकी लिस्ट प्रदर्श पी–4 तैयार की गई थी।

45. जितेंद्र बंसल (अ.सा.2) व प्रदीप यादव (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन कर बताया कि आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–5 है। मौके पर प्रदीप यादव ने आरोपी ताशी शेरपा के कब्जे से तीन नग मोबाईल जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 है। मौके पर ही प्रदीप यादव ने मौका पंचनामा प्रदर्श पी–7 व नजरी नक्शा प्रदर्श पी–8 तैयार किया गया था, फिर आरोपी को ट्रांजिड रिमांड लेकर भोपाल लेकर आए थे और भोपाल में 30 तारीख को एसडीओ विनोद सिंह साहब ने उनके समक्ष आरोपी से पूछताछ कर उसके कथन प्रदर्श पी–9 लिये थे एवं विनोद सिंह साहब ने धारा 50(8) के अंतर्गत आरोपी ताशी शेरपा से पूछताछ कर दिनांक

Continued Page No (30)

12.02.2024 को बयान प्रदर्श पी–10 लिये थे। साक्षी जितेंद्र बंसल ने प्रदर्श पी 1 लगायत 10 के ए से ए भागों पर एवं साक्षी प्रदीप यादव ने प्रदर्श पी 3 लगायत 10 के बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है।

46. जितेंद्र बंसल (अ.सा.2) व प्रदीप यादव (अ.सा.3) ने न्यायालयीन कथनों में प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी की तलाश हेतु जो आदेश मिला था उसमें आरोपी का नाम नहीं लिखा था, स्वतः कहा कि प्रकरण का प्रकरण क्रमांक डला था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है किन्तु उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह साक्षी कथन करता है कि स्थानीय कोई भी गवाह मौके पर उपस्थित नहीं था इसलिए उनको गवाह नहीं बनाया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–4 की जामा तलाशी में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है।

47. विनोद सिंह (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 30.01.2024 को प्रभारी (एसडीओ) टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम में पदस्थ था। राजू सिंह राजपूत रेंजर के द्वारा आरोपी ताशी शेरपा को पश्चिम बंगाल से एसटीएसएफ कार्यालय भोपाल में लेकर आए थे। आरोपी उस समय ठीक से उन लोगों के सामने हिन्दी नहीं बोल रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था, बहाने बना रहा था तब उसने ट्रान्सलेटर के तौर पर खेमबहादुर थापा को बुलाया था और उसके समक्ष उससे पूछताछ की थी जिसका प्रश्नोत्तरी पूछताछ पंचनामा प्रदर्श पी–9 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.02.2024 को एसटीएसएफ कार्यालय भोपाल में जितेन्द्र बंसल और प्रदीप यादव के समक्ष उससे पूछताछ की थी और वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 50(8) के अंतर्गत उसके कथन लिये थे और कथनों को उसके समक्ष शैलेन्द्र गर्ग के द्वारा टाईप किया गया था। कथनों में ताशी शेरपा ने बताया था कि वह भारत से बाघ की खाल, अवयव, हड्डियां, पेंगोलिन के स्केल्स, सीहोर्स, कोरल, लाल चंदन को भारत से लेकर नेपाल, चीन, तिब्बत में अवैध रूप से व्यापार करता है। इस कार्य में उसके साथ सितार तमांग,

Continued Page No (31)

लाचूगुम्पा यांगचेन, जे.ई. तमांग अन्य लोग भी व्यापार करते हैं व सहयोग करते हैं।

48. विनोद सिंह (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि ताशी के द्वारा बताया गया कि उसने जेई तमांग निवासी मजनू का टील उत्तरी दिल्ली को मध्यप्रदेश इटारसी निवासी शेख युनूस खान का नंबर दिया था और बताया कि इटारसी का यह व्यक्ति वन्य प्राणियों के अवयवों की खरीद फरोख्त करता है उसके बाद जेई तमांग इटारसी आया और शेख युनूस से सम्पर्क किया और फिर जेई तमांग ने शेख युनूस से बाघ की हड्डिया, पेगोंलिन के स्केल्स लेकर उसे दिये थे फिर उसने उनको लेकर सितार तमांग व चीन का वाई युनूस उर्फ जिआओ को अलग–अलग मात्रा में बेंच दिये थे। उसके द्वारा लिया गया कथन प्रदर्श पी–10 है जिसके सी से सी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी ताशी शेरपा से जप्त सीलबंद मोबाईल 3 नग को पंचनामा बनाकर खोला गया था जिनके अंदर सिम पायी गई थी जिसमें ताशी शेरपा के नंबर सेव थे व वी–चैट थी जिसमें वन्य प्राणियों के अवयवों के खरीदने व बेंचने के संबंध में अपने साक्षियों से बातचीत करता था। परीक्षण के उपरान्त उक्त तीनों मोबाईलों को पुनः सीलबंद कर दिया था जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–11 है जिसके ए से ए भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

49. विनोद सिंह (अ.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–9 के स्वतंत्र साक्षी उनके विभाग के ही लोग हैं।

50. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 08.02.2024 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स नर्मदापुरम में उपवनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर फोर्स भोपाल के द्वारा अपने पत्र कमांक/40/8.02.2024 के माध्यम से उसे और दिनेश कुमार शर्मा को आरोपी ताशी शेरपा से प्राप्त वोटरआईडी कार्ड ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड जिनमें दर्ज पता मकान नंबर एच 27 ब्लॉक–7 न्यू अरूणा नगर मजनू का टीला पर जाकर पते का सत्यापन किये जाने हेतु आदेश प्रदर्श पी–12 प्राप्त हुआ था जिसके ए से ए भाग पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर है। आदेश मिलने पर वह और दिनेश शर्मा दोनों दिल्ली गये और थाना तिमारपुर जाकर थाने में आमद दी थी, जो प्रदर्श पी–13 है। फिर वे दोनों

Continued Page No (32)

न्यू अरूण नगर मजनू का टीला गये और दिये गये पते पर आरोपी ताशी शेरपा के मकान के संबंध में पता किया और दिये गये पते पर गये वहां पर एक बुजुर्ग महिला शेरप संगमो पिता संदुयलामा मिली थी जिससे पूछताछ की गई और ताशी शेरपा के संबंध में पता किया और उसकी फोटो भी दिखाई थी तो उस महिला ने बताया था कि यह मकान उसका है और वह लगभग 35–36 वर्षों से इसी मकान में रह रही है, मकान उसके पिता के नाम पर है, उसने ताशी शेरपा को पहचानने से इंकार किया था। उसने आरोपी ताशी शेरपा के उस मकान में रहने से इंकार किया था।

51. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि आरोपी ताशी शेरपा के आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में दिया गया पता गलत दिया गया था। वह उस पते पर नहीं रहता है जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–14 उसके द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद वे लोग वापस थाने तिमारपुर गये और वहां से अपनी रवानगी दर्ज करायी थी। रवानगी का पत्र प्रदर्श पी–15 है उसके बाद की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल को उसके द्वारा दिया गया था जो प्रदर्श पी–16 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

52. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जो आदेश उसे व दिनेश शर्मा को दिल्ली जाने हेतु प्राप्त हुआ था उसके साथ ताशी शेरपा के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पीओआर की छायापति एवं गिरफ्तारी पत्र की छायाप्रति प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि इन दस्तावेजों का उल्लेख प्रदर्श पी–12 में नहीं है एवं आदेश व दस्तावेज को प्राप्त करने की पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि दिल्ली रवाना होने के संबंध में उनके कार्यालय का रवानगी पंचनामा अथवा रवानगी रजिस्टर इस प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि आमद–रवानगी के संबंध में उनके कार्यालय में कोई भी संधारण नहीं होता है उनके कार्यालय में ड्यूटी रजिस्टर रहता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य से कहीं भेजा जाता है तो उसमें उस बात का उल्लेख रहता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य

Continued Page No (33)

को भी स्वीकार किया कि कार्यवाही उपरान्त वापिस आने पर भी रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है एवं उसने आने व जाने के हस्ताक्षर रजिस्टर में किये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने उस रजिस्टर की कोई भी प्रति विवेचक को नहीं दी थी।

53. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके दिल्ली रवाना होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि वे लोग मासिक दौरा दैनंदनी बनाते है उसमें इस बात का उल्लेख रहता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी–13 में आमद और प्रदर्श पी–15 में रवानगी बताई है साक्षी ने फिर कहा कि वह त्रुटिवश बता दी है प्रदर्श पी–15 आमद है और प्रदर्श पी–13 रवानगी है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि थाने में उनके आमद एवं रवानगी होने की रोजनामचा की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि मात्र थाने के द्वारा प्रदर्श पी–13 एवं प्रदर्श पी–15 की आमद–रवानगी की कॉपी दी गई है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन कर बताया कि उनके साथ मजनू का टीला जाने के लिए थाने का एक आरक्षक और पीआरओ साथ में गये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 में आरक्षक और पीआरओ के नाम का उल्लेख नहीं है।

54. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने आधार कार्ड और ड्रायविंग लायसेंस पर लिखे पते के संबंध में आरटीओ कार्यालय में जाकर और निर्वाचन कार्यालय में जाकर कोई पता नहीं किया था, स्वतः कहा कि उसे सिर्फ दिये गये पते का सत्यापन करना था इसलिए जो पता दिया गया था उसी स्थान पर सत्यापन करने के लिए गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि पंचनामा प्रदर्श पी–14 में शेरप संगमों के हस्ताक्षर के पास उसका पता नहीं लिखा है, स्वतः कहा कि दिये पते पर जब पहुंचा तब उसे शेरप संगमों उसे उस पते पर मिली थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने शेरप संगमों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त नहीं की थी उसने सिर्फ उसका आधार कार्ड देखा था और उसका नंबर लिखा था। उक्त साक्षी ने

Continued Page No (34)

प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि जो आधार कार्ड नंबर उसने लिखा है उसकी पहचान आधार कार्ड की कॉपी देखने पर ही होगी।

55. चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा.5) साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–14 पर पीआरओ की कोई सील अंकित नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि थाने से जो आरक्षक उनके साथ गया था उसके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–14 पर नही कराए और न ही उसका नाम पता लिखा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद कोई प्रतिवेदन कार्यालय में नहीं दिया था, स्वतः कहा कि उसने 2–3 दिन बाद प्रतिवेदन तैयार करके कार्यालय में दिया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जीपीएस रीडिंग का उल्लेख प्रदर्श पी–16 में है, परन्तु उसका प्रिन्ट उसने पंचनामा के साथ नहीं लगाया है।

56. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह डायरेक्टर फोरेंसिंक साईंस हेड ऑफिस गांधी नगर में फॉरेंसिक सायकोलॉजी डिवीजन में साईटिंफिक ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। एसटीएसएफ नर्मदापुरम के अधिकारी, आरोपी ताशी शेरपा को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लेकर आये थे जिसकी जांच उसे अलॉट हुई थी। आरोपी से पूछा गया कि आप जांच कराने के लिए सहमत हैं या नहीं तो आरोपी ने कहा कि "मैं सहमत हूं" तो उसने उसका सहमति पत्र लिया था। उनने आरोपी से कहा कि आपको किस केस में लाए हैं आप अपनी मर्जी से कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं तो आरोपी ने अपनी मर्जी से उन्हें टाईगर की खाल, पैंगोलिंग के स्केल की तस्करी के संबंध में बताया और उसने यह भी बताया कि वह इंडिया में कहां–कहां गया। उसने यह भी बताया कि वह वेस्ट बंगाल में जयगांव स्थान पर गया था और आरोपी ने टाईगर पोचिंग(शिकार) के संबंध में जिन–जिन लोगों के संपर्क में रहा है उन लोगों के नाम भी बताए थे।

57. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट का एनालेसिस उसके द्वारा किया गया जिसमें उसने निम्न बिन्दु पाए थेः–

Continued Page No (35)

I. भारत में वाईल्ड लाईफ तस्करी के मामलों में आरोपी ताशी का संबंध पाया एवं अव्यवों को तस्करी करने के संबंध में भी उसने पाया था।

II. ताशी शेरपा ने भारत में आकर अनाधिकृत तरीके से आकर आधार कार्ड बनवाया और उसने भारतीय दस्तावेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर पूरे भारत में भ्रमण किया जहां–जहां जंगल का एरिया था वहां वहां पर भी गया और उसने उक्त दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक में खाता खुलवाया।

III. उसने पॉलीग्राफ में पाया की ताशी शेरपा वाईल्ड लाईफ अवयवों का उपयोग हर्बल दवाई के तौर पर चाईना में सप्लाई किया है, आरोपी मोबाईल पर वी–चैट नाम के एप का उपयोग करके कोडवर्ड में राजा रानी शब्द का उपयोग करता था और शब्द का उपयोग करके सामने वाले को संकेत देता था कि राजा मतलब टाईगर और रानी मतलब पैंगोंलिन। 2013 में ताशी शेरपा ने जय तमांग को युनूस खान जो इटारसी का रहने वाला था, की तस्करी के लिए उससे मुलाकात करवाई थी।

IV. पॉलीग्राफ के आधार पर उसने पाया कि जय तमांग उर्फ पासानलीमा, युनुस खान इटारसी का रहने वाला, तेनजिंग द्राकपा, यांगजांग जो भूटान का निवासी है, लाचुंग याचेन जो सिक्किम का रहने वाला है, दरकेलामा, वाययुनिसी उर्फ जियोमाई जो कि चायना का रहने वाला है, ये सभी ताशी शेरपा की टीम के सदस्य हैं जो सभी लोग साथ में मिलकर अवयवों का व्यापार करते है।

58. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने न्यायालयीन साक्ष्य में अपना अभिमत दिया कि पॉलीग्राफ की जांच के आधार पर उसने पाया कि ताशी शेरपा भारतीय वन्य प्राणियों के अवयवों की तस्करी में शामिल है। आरोपी ताशी के मोबाईल में अन्य आरोपियों के नंबर भी हैं जो तस्करी में उनका संबंध है। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 है जिसके ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

59. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करने की एक निर्धारित प्रकिया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि यदि आरोपी यह कहता है

Continued Page No (36)

कि मैं स्वस्थ्य नहीं हूं तो वे लोग टेस्ट की प्रक्रिया आगे नहीं करते है। इस साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करते समय वीडियोग्राफी भी की जाती है, साक्षी ने स्वतः में कहा कि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है उसके उपर जो उपकरण लगाए जाते है उसकी ऑटोमैटिक रिकार्डिंग होती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 के साथ साफ्टवेयर में हुई रिकार्डिंग की कोई सीडी नहीं दी है, स्वतः कहा कि वह ऑटोमैटिक रिकार्डिंग होती है उसकी सीडी नहीं दी जाती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ताशी शेरपा का पॉलीग्राफ टेस्ट किस दिनांक को किस समय किया और कब समाप्त हुआ इसका उल्लेख प्रदर्श पी–30 में नहीं किया है, स्वतः कहा कि पॉलीग्राफ चार्ट में उसकी रिकार्डिंग है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त चार्ट प्रदर्श पी–30 के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

60. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने जो अपनी सहमति लिखित में दी थी उसका पत्र रिपोर्ट के साथ नहीं लगाया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने जो पूर्णरूप से स्वस्थ्य होना बताया था और हस्ताक्षर किये थे वह फार्म भी रिपोर्ट के साथ नहीं लगाया है, स्वतः कहा कि रिपोर्ट कनक्लूजन है इसके साथ वह सभी चीजें नहीं दी जाती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज सलंग्न नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि दिनांक 13.03.2024 14.03.2024 एवं 15.03.2024 को आरोपी के टेस्ट किये गये थे और उसकी सहमति ली गई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि उसने आरोपी ताशी को यह समझा दिया था कि उससे प्रश्न किये जायेंगे और उनका उत्तर जो आयेगा वह उसकी रिपोर्ट तैयार की जावेगी, सभी कुछ समझाने के पश्चात् और सहमति लेने के पश्चात ही आरोपी का टेस्ट किया था।

61. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी कथन किया कि उसने आरोपी को यह बता दिया था कि जो भी उत्तर आयेंगे वह उसके विरूद्ध प्रकरण में उपयोग किये जावेंगे, आरोपी की सहमति के पश्चात् ही जांच की थी, परन्तु इस बात का उल्लेख उसने स्पष्ट रूप से

Continued Page No (37)

रिपोर्ट में नहीं किया है, स्वतः कहा कि बिलिंगली शब्द का उपयोग किया है जिसमें सभी चीजें सम्मिलित है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण के दौरान पूछा गया कि क्या आपने पीओआर क्रमांक 14198/23 दिनांक 13.07.2015 वन्य प्राणीय बाघ एवं पैगोलिन का शिकार में सम्मिलित थे ऐसा प्रश्न किया अथवा नहीं किया तो इस साक्षी का कहना है कि उसने पूछा था, स्वतः कहा कि रिपोर्ट के पेज क्रमांक 4 के क्रमांक 6 और रिपोर्ट के बॉक्स नंबर 3 का पहला प्रश्न, इस संबंध में पूछा गया है।

62. डॉक्टर अंजन पटेल (अ.सा.7) ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 6 नंबर का प्रश्न शेख युनिस की पहचान के संबंध में है और वर्ष 2013 में जय तमांग का सम्पर्क मध्यप्रदेश के युनिस खान से कराया था, इस संबंध में है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 13.07.2015 के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि उसने वर्ष का उल्लेख किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रश्न वॉक्स नंबर 1 में प्रश्न क्रमांक 3 किस स्टेट से संबंधित है यह नहीं लिखा है, स्वतः कहा कि उससे उसने वह सभी प्रश्न पूछे हैं जिसमें वह शामिल था, उसने भारत के कई शहरों में यह कार्य किये थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ताशी भारत के किस शहर में किस दिनांक को अपराध में शामिल रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मोबाईल के संबंध में प्रश्न–उत्तर बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं किया है, स्वतः कहा कि रिपोर्ट में मोबाईल के संबंध में उल्लेख है।

63. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि वह दिनांक 27.03.2024 को असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर फारेंसिंक साईंस गांधी नगर गुजरात में कार्यरत थी। उसने यह केस दिनांक 27.02.2024 को बीईओएस टेस्ट के लिए रिसीव किया था। उसने ताशी शेरपा नामक व्यक्ति का टेस्ट किया था। दिनांक 27.02.2024 को उसने विवेचना अधिकारी के साथ विचार विमर्श कर उनको एक नियुक्ति पत्र ताशी शेरपा को लाने के लिए दिया था उसने ताशी शेरपा के टेस्ट के लिए 11.03.2024 से दिनांक 22.03.2024 तक का समय दिया था जिसमें विवेचना अधिकारी के द्वारा 11 तारीख को ताशी

Continued Page No (38)

शेरपा को बीईओएस टेस्ट के लिए उसके समक्ष लेकर आये थे। उसने दिनांक 12.03.2024 को ताशी शेरपा का प्रीमिलरी फार्म भरकर उसको बीईओएस टेस्ट के बारे में सभी बाते समझा दी थी और उसको टेस्ट न देने के अधिकार के बारे में बता दिया था। ताशी शेरपा ने उसकी बीईओएस टेस्ट के लिए सहमति देने के बाद उसके साथ इन्टरव्यू कंडक्ट किया था।

64. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन कर बताया कि ताशी शेरपा नेपाली भाषा बोलता था तो द्विभाषीय की सुविधा भी रखी थी जो नेपाली भाषा जानता हो। उसने ताशी शेरपा के साथ इन्टरव्यू किया इसके बाद ताशी शेरपा ने अपनी मर्जी से निवेदन लिखा था। उस निवेदन के आधार पर उसने बीईओएस टेस्ट का सेट–1 बनाया था। बीईओएस टेस्ट का सेट–1 व्यक्ति के निवेदन के आधार पर होता है। उसके बाद उसने सेट–2 बनाया जो आईओ के हाईपोथिसिस के आधार पर होता है। उसने सेट–2ए, सेट–2बी, सेट–2सी भी बनाए है, उसके बाद उसने ताशी शेरपा की बीईओएस कन्सेन्ट लेटर पर जो नेपाली भाषा में है उस पर लिखित सहमति ली थी। उसने दिनांक 19.03.2024 को बीईओएस टेस्ट करने के लिए ताशी शेरपा की सहमति ली थी। बीईओएस टेस्ट में व्यक्ति को इलेक्ट्रोजेल कैप पहनकर रूम में बैठाया जाता है और उसको घटना संबंधित सेट–1, सेट–2ए, सेट–2बी, सेट–2सी बारी–बारी से सुनाते है इसके बीच में थोड़ा–थोड़ा आराम भी लिया जाता है। ताशी शेरपा को इन्वस्टीगेशन ऑफिसर से पाए गये फोटोग्राफ भी दिखाए गये थे।

65. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे कथन कर बताया कि टेस्ट होने के बाद ताशी शेरपा को मेमोरी रिकॉल करने के लिए भी बोला गया था और ताशी शेरपा ने सेट–1, सेट–2ए, सेट–2बी, सेट–2सी का मैमोरी रिकॉल लिखित में दिया था, टेस्ट हो जाने के बाद उसने ताशी शेरपा को दिनांक 21.03.2024 को सर्टिफिकेट देकर रवाना किया था। टेस्ट हो जाने के बाद रिपोर्ट के लिए उसने बीईओएस सिस्टम में से ऑटोमैटिक रिजल्ट निकाला था जो उसने उसकी रिपोर्ट में अंकित किया है। उसने तारीख 27.03.2024 को रिपोर्ट बनाई और उसका फॉरवर्डिंग लेटर दिनांक 01.04.2024 को अपने अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर के लिये रखा था।

Continued Page No (39)

66. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य में अपना अभिमत दिया कि बीईओएस टेस्ट का रिजल्ट सूचित करता है कि ताशी शेरपा भारत में अवैध तरीके से आया था उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया था ताकि वह आसानी से भारत में अवैध कार्य करने के लिए घूम सके, ताशी शेरपा ने पहले भी जड़ीबूटी और जैम्स स्टोन का व्यापार करता था। ज्यादा पैसों के लालच में ताशी शेरपा ने अवैध तरीके से बाघ की हड्डियां, चमड़ी, पैगोंलिन स्केल्स की अवैध तरीके से तस्करी की थी जिसमें उसका स्थानीय भागीदार इटारसी का शेख युनूस था ताशी शेरपा ने जय तमांग और लाचुंगपा जो भारत में रहते थे उनके साथ भी अवैध व्यापार करने के लिए सम्पर्क किया था। ताशी शेरपा वी–चैट एप के जरिये उसके चायनीज दोस्त युनुसीवाय और लोडूडायनी के साथ मिलकर बाघ की हड्डियां, चमड़ी और पैंगोलिन स्केल्स को अंतराष्ट्रीय बाजार में बेचता था। ताशी अपना व्यापार नेपाल और भूटान के रास्ते से करता था। पुलिस से बचने के लिए ताशी जयगांव वेस्ट बंगाल में छिपा था। बीईओएस रिजल्ट सूचित करते हैं कि ताशी ने जय तमांग से बाघ की हड्डिया 8,000/–रूपये प्रति किलो, व 9 किलो पैंगोलिन स्केल 12,500/–रूपये प्रतिकिलो खरीदे थे। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 है जो आगे–पीछे के पृष्ठों को मिलाकर 41 पृष्ठों पर है जिसके प्रत्येक भाग पर ए से ए भागों पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है।

67. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बीईओएस टेस्ट के लिए ताशी शेरपा को लाने के लिए अपायन्टमेंट देकर 11.03.2024 से 22.03. 2024 तक का समय दिया गया था एवं दिनांक 12.03.2024 को सुबह साढ़े 10 बजे से टेस्ट चालू किया था और उसी दिन शाम को 06:10 बजे समाप्त किया था, ऐसा ही उसने प्रत्येक दिन किया था। उसने दिनांक 12.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक ताशी शेरपा का बीआईओएस टेस्ट किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 12.03.2024 को ताशी शेरपा का प्रीमिलरी फार्म भरकर उसको बीईओएस टेस्ट के बारे में सभी बाते समझा दी थी और उसको टेस्ट न देने के अधिकार के बारे में बता दिया था। ताशी शेरपा ने उसकी बीईओएस टेस्ट के लिए सहमति देने के बाद उसके

Continued Page No (40)

साथ इन्टरव्यू कंडक्ट किया था। ताशी शेरपा नेपाली भाषा बोलता था तो द्विभाषीय की सुविधा भी रखी थी जो नेपाली भाषा जानता हो।

68. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि उसने ताशी शेरपा के साथ इन्टरव्यू किया इसके बाद ताशी शेरपा ने उसकी मर्जी से निवेदन लिखा था। उस निवेदन के आधार पर उसने बीईओएस टेस्ट का सेट–1 बनाया था। बीईओएस टेस्ट का सेट–1 व्यक्ति के निवेदन के आधार पर होता है। उसके बाद उसने सेट–2 बनाया जो आईओ के हाईपोथिसिस के आधार पर होता है। उसने सेट–2ए, सेट–2बी, सेट–2सी भी बनाए है, उसके बाद उसने ताशी शेरपा की बीईओएस कन्सेन्ट लेटर पर जो नेपाली भाषा में है उस पर लिखित सहमति ली थी, उक्त संबंध में ताशी शेरपा द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया है। सेट–1 उसने 19.03.2024 को व सेट–2ए, सेट–2बी, सेट–2सी दिनांक 20.03.2024 एवं 21.03.2024 को बनाए है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट 27.03.2024 से बनाना शुरू की और उसे 01.04.2024 को समाप्त किया था।

69. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा 19.03.2024, 20.03.2024 एवं 21.03.2024 को जो टेस्ट लिये गये थे वह उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किये थे, स्वतः कहा कि उनका विवरण उसने उसकी रिपोर्ट में किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बीआईओएस टेस्ट में व्यक्ति के सिर पर कैप लगाई जाती है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त टेस्ट में उसे घटना के बारे में फोटो व घटना का विवरण सुनाया जाता है और उसके मस्तिष्क का जो ईईजी ग्राफ निकलता है उसके आधार पर सिस्टम ऑटोमैटिक रिजल्ट निकालकर देता है एवं सिस्टम जो ग्राफ व रिजल्ट देता है उस सिस्टम की कॉपी उसने उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं की है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ताशी शेरपा के द्वारा भारत में किन–किन स्थानों पर किन–किन दिनांकों को घटना में संलिप्त रहा है इस संबंध में उसने उसकी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ताशी शेरपा ने जिन लोगों के नाम बताए है

Continued Page No (41)

उन लोगों से उसका कब कब सम्पर्क स्थापित हुआ यह रिपोर्ट में अंकित नहीं है।

70. हेमा आचार्य (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 13.07.2015 के प्रकरण के संबंध में उसकी संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि ताशी भारत में किस वर्ष में अनाधिकृत रूप से आया इस बात का भी उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कर बताया कि ताशी ने जय तमांग से बाघ की हड्डिया 8,000/–रूपये प्रति किलो, व 9 किलो पैंगोलिन स्केल 12,500/–रूपये प्रतिकिलो खरीदे थे, यह अवयव किस वर्ष, किस तारीख को खरीदे गये थे इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

71. अभिलेख में उपस्थित डी.व्ही.डी और पेनड्राइव लेब केस नंबर 234–24 को न्यायालय में कम्प्यूटर सिस्टम में परिचालित किया गया। जिसमें पाया गया कि पेनड्राइव को लेब केस नंबर 234–24 से नामांकित किया गया है। उक्त पेनड्राईव में सेमसंग मोबाइल का डेटा एवं उसकी रिपोर्ट पीडीएफ फार्म में पायी गयी, जिसमें फोल्डर बने हुये हैं। फोल्डर में फोटोस, वीडियो, ऑडियो क्लिप, पीडीएफ, टेक्स्ट फाईल है। फोटोस में आरोपी की एवं अन्य कुछ फोटोस, एयर टिकिटस की फोटोस, जी.एस.टी. एक्नॉलेजमेंट, बैंक स्टेटमेंट की पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाईल्स एवं कुछ ऑडियोस पाये गये जिनमें हिंदी व अंग्रेजी के अलावा अन्य कोई भाषा में वार्तालाप होना पाया गया, जिसमें से एक ऑडियो में होशंगाबाद शब्द उच्चारित किया जाना पाया गया। पेनड्राइव में तिब्बती धर्मगुरू के कुछ वीडियोस, फेसबुक, व्हाटसएप, वी. चैट, इंस्टाग्राम, कॉन्टेक्टस की चैट डिटेल्स पायी गयी। डी.व्ही.डी को चलाये जाने पर डी.व्ही.डी में Hash Value की पी.एन.जी. फोटोस पायी गयी।

72. अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51 के उल्लंघन में वन्यप्राणी बाघ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम

Continued Page No (42)

1972 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया?

73. साक्ष्य के क्रमबंधन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि विचारित आरोपी के आरोप के संबंध में यद्यपि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी या स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, परंतु उक्त तथ्य के अस्वाभाविक या अभियोजन की कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन्यजीवों के साथ होने वाले अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियां ऐसी होती है, जिनमें स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य करा पाना संभव नहीं होती है। वन्यजीव अपराध में पीड़ित/पक्षकार अर्थात् वन्यजीव तथा बेजुबान निरीह जीव होता है, जो कि मानव अपराध की दशा अनुसार स्वयं की पीड़ा किसी अन्य से या किसी फोरम पर व्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं होता है और न ही संबंधित अपराध की प्रकृति ऐसी होती है कि उसके संबंध में घटना स्थल का कोई रहवासी या अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्षी मिल पाना संभव हो। ऐसी स्थिति में विधि भी अपराध के प्रमाणन हेतु किसी ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रखता, जो एक प्रज्ञावान मस्तिष्क के लिए प्रकरण की परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होना संभव न हो, यही कारण है कि विधायिका ने वन्य जीव संरक्षण हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 विशिष्ट अधिनियम सृजित किया है। उक्त प्रकृति के अपराधों में अनुसंधान हेतु कतिपय असामान्य नियम उपबंधित करना पड़ा है और इसी कारण मामले में आई साक्ष्य का विचारण भी उक्त विशिष्ट उपबंधों के आलोक में ही किया जाना होगा।

74. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति प्रदर्श पी 10 लिखित में है, जो सक्षम वन अधिकारी के द्वारा दर्ज की गई, उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी लिये गये है और उक्त संस्वीकृतिजन्य कथनों के बारे में सक्षम वन अधिकारी विनोद सिंह (अ.सा.4) द्वारा वन कर्मचारी जितेंद्र बंसल (अ.सा.2) व प्रदीप यादव (अ.सा.3) के समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया गया है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्त द्वारा उक्त संस्वीकृति किसी धमकी, वचन और उत्प्रेरणा के अधीन की गयी हो। ऐसी

Continued Page No (43)

स्थिति में अभियुक्त के उक्त संस्वीकृति कथन साक्ष्य में सुसंगत होकर प्रकरण में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

75. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि वन विभाग के साइबर अधिकारी द्वारा आरोपी के मोबाइल नंबर और उसके मोबाइल फोन से संचालित मोबाइल नंबरों के आधार पर सीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 निकाली गयी, जिनके बारे में अभियोजन साक्षियों ने साक्ष्य में व्यक्त किया है कि आरोपी वन्य जीवों के व्यवसायिक एवं व्यापार हेतु आपस में उक्त मोबाइल से वी चैट से वन्यप्राणी के अव्यवों के खरीदने व बेचने के संबंध में अन्य आरोपियों से बातचीत की थी। आरोपी ताशी शेरपा की ओर से उक्त बिन्दु को चुनौती नहीं दी गई है।

76. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण करने के लिये अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य ग्रहण कर सकता है और अभिलिखित कर सकता है और ऐसी साक्ष्य पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य मानी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किये गये है वे सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियुक्त के कथन उसे डरा धमकाकर लेखबद्ध किये गये है। अभियुक्त के कथन जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये हो वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत–**फोरेस्ट रेंजर आफिसर बनाम अबोदकर 1989 के.एच.सी. 201 एवं कुरकली व अन्य बनाम फोरेस्ट रेंजर आफिसर व अन्य 2012 के.एच.सी. 231 अनुकणीय है** जिनमें यह निश्चित किया गया है कि सक्षम अधिकारी जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है के द्वारा अभिलिखित अभियुक्त के संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।

77. अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) की श्रेणी में आता है तथा न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) यद्यपि एक

Continued Page No (44)

कमजोर साक्ष्य की श्रेणी में आता है, किन्तु उसके आधार पर भी दोषसिद्धी की जा सकती है यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उक्त स्वीकारोक्ति स्वेच्छयापूर्वक की गई है। इस प्रकार न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra judicial Confession) की साक्ष्य के विषय में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य 2023 के.एच.सी. 6253 में प्रतिपादित सिद्धांत** को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये यह निष्कर्ष देना है कि अभियुक्त के कथनों की संपूष्टि अभिलेख पर आने वाली अन्य साक्ष्य से हो रही है या नहीं।

78. अभियुक्त की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारी वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में **माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि० अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038 अवलोकनीय** है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस अधिकारी के पॉवर दिए गए है तथा पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।''

79. वर्तमान प्रकरण में वन्यजीव एवं उनके अवयवों के संबंध में किए गए अपराध में अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृत्ति के अतिरिक्त अभियुक्त के पॉलीग्राफी टेस्ट परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 जिसके अभिमत में डॉक्टर अंजन पटेल साइंटिक ऑफिसर (अ.सा.7) के द्वारा रिपोर्ट में उनके द्वारा Polygraph Report की जांच के आधार पर पाया गया कि प्रकरण के आरोपी ताशी शेरपा भारतीय वन्य प्राणियों के अव्यवों की तस्करी में सम्मिलित है और आरोपी ताशी के मोबाईल में अन्य तस्करी आरोपियों के नंबर भी है। इसी क्रम में हेमा आचार्य असिस्टेंट डॉयरेक्टर फॉरेंसिक साइंस (अ.सा.8) के द्वारा आरोपी का Brain

Continued Page No (45)

Electrical Oscillation Signature Profiling (BEOSP) रिपोर्ट प्रदर्श पी 29 के आधार पर अपने अभिमत में बताया है कि ताशी शेरपा ने जै तमांग और लाचुगंपा जो भारत में रहते थे, उनके साथ अवैध व्यापार करने के लिये संपर्क किया था। ताशी शेरपा वी चैट ऐप के जरिये उसके चायनीज दोस्त यू नू शिवाय और लोडू डायनी के साथ मिलकर बाघ की हड्डियां चमड़ी और पैंगोलिन स्केल्स को अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता था और ताशी अपना व्यापार नेपाल और भूटान के रास्ते करता था। बी.ई.ओ.एस. टेस्ट के अनुसार ताशी ने जै तमांग से बाघ की हड्डियां और पैंगोलिन स्केल्स खरीदे थे। अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में आयी विशेषज्ञों की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत प्रतीत होती है।

80. अभिलेख पर अभियोजन साक्षीगण एवं अभियुक्त के संस्वीकृतिजन्य कथनों की संपुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सी.डी.आर रिपोर्ट प्रदर्श पी 32, बी.ई.ओ.एस. टेस्ट की रिपोर्ट प्रदर्श पी 29, पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी 30 से भी हो रही है तथा जिनकी कडियां आपस में एक दूसरे से मोतियों की माला की भांति आपस में जुड़ रही है। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा उसको अभिरक्षा में लिए जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में उक्त अपराध में संलप्ति सह अभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर वन्यप्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत् अंतरराज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय सदस्य के गिरोह के रूप में कार्य कर वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किया।

81. जहाँ तक वन्य अधिकारियों द्वारा अपराधी से जप्त मोबाइलों में अपराध संबंधी डाटा उक्त जप्ती के बाद इन्सर्ट किए जाने के आरोप का प्रश्न है, उक्त तथ्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अभियोजन अनुसार उक्त समस्त जानकारियां शासकीय पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्राप्त की गयी है। बचाव पक्ष द्वारा न तो ऐसी जानकारियां दी है, कि तत्समय आरोपी के संबंधित एकाउण्ट में विद्यमान न होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है और न

Continued Page No (46)

ही उनके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है कि उक्त मोबाइल व सिम उनके नहीं थे।

82. ई वाईल्ड लाईफ सेन्चूरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 (फ) के प्रावधानों के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। आरोपी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि रेंज अधिकारी राजू सिंह राजपूत (अ.सा.6) को उक्त अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं है। वह परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 (ग) के अंतर्गत रेंज अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ 15–29–2001–X –2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है। अतः आरोपी की ओर से दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है।

83. अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी है। उनकी अभियुक्त से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।

84. आरोपी की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि उक्त आरोपी से कोई भी वन्यप्राणी की खाल एवं अवयवों की जप्त नहीं हुई है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त आरोपी के आधिपत्य से किसी भी वन्यप्राणी के अवयवों की जप्ती नहीं हुई है, परंतु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 4 अनुसार आरोपी के पास से नेपाली, भूटानी मुद्रा आर्टिकल ए–2 एवं भूटानी मोबाईल सिम और नेपाल की मोबाईल सिम आर्टिकल ए–10 जप्त हुई है। इस

Continued Page No (47)

संबंध में कि आरोपी के आधिपत्य में विदेशों की मुद्रा एवं विदेशी मोबाईल सिम जप्ती के समय उसके पास किस लिये मौजूद थी इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। इससे भी यह दर्शित होता है कि वह प्रश्नगत सिम और विदेशी मुद्रा का उपयोग भी आरोपित अपराध के संबंध में करता था।

85. वन्य जीव या वनों के प्रति अपराध सामान्यतः घने जंगल में मध्य रात्रि एवं एकांत में ही सम्पन्न होते है, ऐसी दशा में वन्य या वन जीव के प्रति होने वाले अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्षी मिलेगा इसकी संभावना न के बराबर होती है। किसी मानव के प्रति अपराध को या कोई मानव गायब हो या न मिले तब स्वयं अथवा उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार या परिचित अपराध की सूचना थाने में दे सकते है, परंतु वन्य जीव वन्य प्राणी के रहवास को नष्ट करने के संबंध में अपराध होने या वन्य जीव के गायब होने पर उसकी सूचना कोई वन्य प्राणी नहीं दे सकता है तथा उसकी जानकारी सामानयतः अपराध होने के पश्चात् ही प्राप्त होगी।

86. अतः उक्त अपराध से संबंधित सभी आरोपीगण भले ही एक दूसरे से व्यक्तिसः परिचित नहीं थे, परंतु उनके बीच एक ऐसी कड़ी दर कड़ी विद्यमान थी और उसी कड़ी के क्रमबंधन में आरोपी ताशी शेरपा ने वन्य जीवों के अवैध व्यापार हेतु अंतरराज्जीय और अंतरराष्ट्रीय रैकेट के रूप में वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन के अव्यवों का अवैध व्यापार बिना वैध अनुज्ञप्ति के किया। प्रकरण में आई अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी ने वन्यप्राणी बाघ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

87. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियोजन अपने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने वन्यप्राणी बाघ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 में अनुक्रमांक 39 एवं वन्यप्राणी पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 28 पर दर्ज वन्यजीव का अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया।

Continued Page No (48)

88. परिणामस्वरूप अभियुक्त को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51(1)(क) के अंतर्गत दोषी पाते हुये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

सही/–

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

पुनश्चः–

89. अभियुक्त व उसके अधिवक्ता एवं अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वह गरीब परिस्थिति का व्यक्ति है। वह वर्ष 2024 से विचारण का सामना कर रहा है एवं एक वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसका यह प्रथम अपराध है व अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं है। उसे परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। अतः उसके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जायें। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि वन्य जीव हमारे देश की धरोहर है वन्य जीव प्रकृति एवं पर्यावरण का संतुलन बनाते है और हमारे जल व जंगल जैव विविधता प्रदान करते है। वन्य जीव बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। अवैध शिकारियों के द्वारा निरंतर अवैध शिकार किया जा रहा है जिसमें मात्र नर्मदापुरम में ही वन्य जीवों के शिकार के 308 प्रकरण दर्ज है। पूरे मध्यप्रदेश में बाघ के शिकार के 171 प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में अवैध शिकार होने से मध्यप्रदेश में मात्र 785 बाघ (शेर) ही शेष रहे गये है। यदि किसी प्रकार इनका शिकार होता रहा तो आने वाली पीढ़िया बाघ को नहीं देख पायेगी और इनके खात्मा होने पर पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जायेगा। अतः आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दण्डित किया जावे।

Continued Page No (49)

90. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी ने उसको अभिरक्षा में लिए जाने की दिनाँक के पूर्व के वर्षों में उक्त अपराध में संलप्ति अन्य सह अभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर वन्यप्राणियों के अवयवों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत् एक अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य किया है एवं उक्त आरोपी ने उक्त अपराध में संलप्ति अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम तथा भारत के बाहर नेपाल तथा चीन आदि देशों में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–ए के भाग–1 में अनुक्रमांक 28 एवं 39 के अंतर्गत विलुप्तप्रायः बाघ एवं पैंगोलिन के स्कल्स तथा अन्य वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत् जो अनुसूची 28 एवं 39 को अवैध रूप बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यापार किया। अतः प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

91. अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुये उक्त प्रावधानों के आलोक में अभियुक्त ताशी शेरपा को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा 44, 49/51(1)(क) के परंतुक वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, 2006) के अधीन आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। निरोध में व्यतीत की गयी अवधि को मूल कारावास की सजा में समायोजित की जाये।

92. प्रकरण में आरोपीगण लाचुंगपा यांग चेन, जे.ई तमांग उर्फ पंसांग लिमि, ढरकेलामा, सितार तमांग, एहोनोरबु, अटुप बोंगपा, बाई यूनिस उर्फ जिआओ बाई उर्फ बाई चेंग फरार है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे।

Continued Page No (50)

93. प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का सजा वारंट तैयार किया जाकर उसे सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

94. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। तत्संबंध में द.प्र.स की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे तथा उक्त प्रमाण पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

95. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/-
फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

सही/-
फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

Continued Page No ()